कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@rajasthan.gov.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

कमांक / बैठक / 2017 / 1183 दिनांक :: 24.11.2017

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 15 नवम्बर, 2017 को सांय 4.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित अनुसार निर्णय लिये गये:–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 8 सितम्बर, 2017 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि

गत बैठक दिनांक 8 सितम्बर, 2017 का कार्यवाही विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 8 सितम्बर, 2017 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 8 सितम्बर, 2017 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद को जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर कमोन्नयन करवाने बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में वर्तमान में जनसम्पर्क शाखा में मात्र सहायक जनसम्पर्क अधिकारी का एक ही पद सृजित है, जो पूर्व में नगर सुधार न्यास के अस्तित्व के दौरान सृजित हुआ था एवं तत्कालीन समय से ही अस्तित्व में है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण के गठन के बाद न तो सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद की संख्या में कोई वृद्धि हुई है एवं न ही जनसम्पर्क अधिकारी का नवीन पद सृजित हुआ है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के गठन के बाद प्राधिकरण की जनसम्पर्क शाखा के द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यों में भी काफी वृद्धि हुई है एवं इसका कार्य क्षैत्र भी बढा है एवं बहुत से नए कार्य भी जनसम्पर्क शाखा में जुडे है। वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए एक सशक्त एवं सुगठित जनसम्पर्क शाखा की आवश्यकता है साथ ही जनसम्पर्क अधिकारी की अति आवश्यकता है ताकि सक्षम स्तर से जनसम्पर्क शाखा द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कार्यों का प्रभावी सम्पदन करवाया जा सके।

वर्तमान में प्राधिकरण की जनसम्पर्क शाखा में मात्र सहायक जनसम्पर्क अधिकारी का एक ही पद सृजित है, जो प्राधिकरण की जनसम्पर्क शाखा द्वारा वर्तमान में सम्पादित किए जाने

24.11.17

वाले कार्यों के मद्देनजर पर्याप्त प्रतीत नहीं हो रहा है फलतय एवं जनसम्पर्क अधिकारी की आवश्यकता है।

इस संबंध में जोधपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम, 2014 की अनुसूची संख्या XI की क्रम संख्या एक पर जनसम्पर्क अधिकारी का पद शामिल है। प्राधिकरण के सेवानियमों में जनसम्पर्क अधिकारी का पद सम्मिलित करते हुए प्राधिकरण द्वारा इसका गजट नोटिफिकेशन भी करवाया जा चुका है। इस तरह प्राधिकरण में जनसम्पर्क अधिकारी का नवीन पद विधितः सृजित किया जा सकता है।

सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद से आगे जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर पदोन्नति किए जाने का चैनल, जोधपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम, 2014 की अनुसूची संख्या XI की क्रम संख्या एक पर प्रावधानित है। जोधपुर विकास प्राधिकरण में वर्तमान में सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर डॉ. ललित कुमार मतनानी नियुक्त एवं कार्यरत है। संयुक्त शासन सचिव–तृतीय नगरीय विकास विभाग द्वारा पत्र क्रमांक प.1(39)नविवि/५/2009 दिनांक 9/10/2013 प्रेषित कर "जोधपुर विकास प्राधिकरण जनसम्पर्क अधिकारी के पद को पहले सेवानियमों में सम्मिलित कराते हुए प्राधिकरण की गवर्निंग बॉडी से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव भिजवायें।"

उक्त आधारों एवं कारणों के आधार पर जोधपुर विकास प्राधिकरण में सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद को जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर क्रमोन्नयन करवाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार सहायक जनसम्पर्क अधिकारी के पद को जनसम्पर्क अधिकारी के पद में क्रमोन्नत करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि चूंकि यह प्रकरण गवर्निंग बॉडी का अनुमोदन होना है। अतः प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे तत्पश्चात् पद क्रमोन्नत हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 3 :: मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत ग्राम तनावड़ा द्वितीय चरण ग्राम चौखा के लॉटरी दिनांक 04.10.2017 के अनुमोदन हेतु।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा ग्राम तनावडा द्वितीय चरण व ग्राम चौखा में आर्थिक दृष्टि से कमजोर तथा अल्प आय वर्ग के आवास आवंटन हेतु नियमानुसार आवासीय योजना प्रस्तावित की गई थी, तनावडा द्वितीय में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवासों की संख्या 512 जिसमें आवेदन प्राप्त हुए 681 व अल्प आय वर्ग के आवासों की संख्या 320 जिसमें आवेदन प्राप्त हुए 306, इसी प्रकार चौखा योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवासों की संख्या 467 जिसमें आवेदन प्राप्त हुए 738 व अल्प आय वर्ग के आवासों की संख्या 320 जिसमें आवेदन प्राप्त हुए 607 उक्त प्राप्त आवेदनों की जॉच हेतु कार्यालय आदेश कमांक जेडीए/उपायुक्त मुख्यालय/2017/29/दिनांक 21.08.2017 को कमेटी का गठन किया गया था,उक्त कमेटी की जॉच उपरान्त श्रीमान् जिला क्लेक्टर महोदय को कार्यालय पत्र कमांक 39 से 40 दिनांक 27.09.2017 को जारी कर अपना प्रतिनिधी मनोनित करने का लिखा गया था। श्रीमान् जिला क्लेक्टर के प्रतिनिधी की उपस्थिति में दिनांक 04.10.2017 को प्राधिकरण प्रांगण में गणमान्नीय व जनता के बीच कम्प्यूटराइज्ड लॉटरी निकाली गई थी। उक्त लॉटरी का अनुमोदन हेतु कार्यकारी समिति की बैठक में प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

24.11.17

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से मुख्यमंत्री जन आवास योजना – 2015 अन्तर्गत ग्राम तनावडा फेज द्वितीय, ग्राम चौखा की लॉटरी दिनांक 4 अक्टूबर, 2017 का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: प्राधिकरण की गंगा विहार आवासीय योजना ग्राम झालामण्ड खसरा नं. 707 व 847 की लॉटरी दिनांक 4.10.2017 के आवंटन का अनुमोदन हेतु।

ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 707 व 847 में प्राधिकरण की गंगा विहार आवासीय योजना लांच करने बाबत्, कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 15/03/2017 में प्रस्ताव संख्या 19 के अनुसार लांच करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें विभिन्न वर्गों के कुल 712 आवेदन बैंक के माध्यम से प्राप्त हुए थे, जिसमें से 1 आवेदन में आवेदक द्वारा रिफण्ड हेतु प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुआ व जांच कमेटी द्वारा 31 आवेदन निरस्त योग्य पाये गये।

इस प्रकार 712 आवेदनों में से 32 आवेदन लॉटरी में सम्मिलित नहीं किये गये। शेष 680 आवेदन लॉटरी के योग्य आवेदनों से 172 भूखण्डों की लॉटरी दिनांक 04/10/2017 को निकाली गई थी।

अतः उक्त योजना की लॉटरी दिनांक 04/10/17 के अनुमोदन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: निदेशक (रा.प.) ऑयल इण्डिया लिमिटेड जोधपुर को ग्राम जोधपुर के खसरा नं0 677 में आवासीय भूमि आवंटन करने बाबत।

श्री एस.सी. मिश्र, कार्यकारी निदेशक (रा.प.), ऑयल इण्डिया लिमिटेड, जोधपुर द्वारा भू–आवंटन नीति–2015 के तहत निर्धारित प्रपत्र–स में आवेदन–पत्र पेश कर न्यायिक अकादमी के पास, झालामण्ड में आवासीय व्यवस्था हेतु 40000–41000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु निवेदन किया है।

उक्त आवेदित भूमि का खसरा संख्या 677, किस्म गै.मु. आबादी में वर्तमान में रकबा 9–06 बीघा यानि 18004.8 वर्गगज भूमि उपलब्ध है। आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का मास्टर प्लान 2031 में भू–उपयोग आवासीय एवं उत्तर दिशा का भाग सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी प्रयोजनार्थ आरक्षित है।

प्राधिकरण की पूर्वी जोन के पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 05/10/2017 के अनुसार ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 677 में प्राधिकरण के खाते में दर्ज भूमि अनुसार मौके पर केवल 9–06 बीघा भूमि, किस्म गै.मु. आबादी मौके पर मेघवाल समाज छात्रावास के पीछे व निगम बस डिपो के पास उपलब्ध है। मौके पर उक्त भूमि रिक्त है।

24.11.17

अतः ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 677 में उपलब्ध 9–06 बीघा यानि 18004.8 वर्गगज भूमि ऑयल इण्डिया लिमिटेड, जोधपुर को आवंटन किये जाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावा अनुसार ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 677 में उपलब्ध 18,004.8 वर्ग गज भूमि ऑयल इण्डिया लिमिटेड को आवासीय व्यवस्था हेतु भूमि आवंटन करने के कम में केन्द्र सरकार के विभागों को आवंटित की जाने वाली भूमि की दर निर्धारित हेतु संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति से आवंटित की जाने वाली भूमि की दर निर्धारित करवाकर प्रकरण में भूमि आवंटन की सक्षम स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: अरणा विहार योजना में भूखण्ड आवंटन करने के कम में आवेदक श्री विक्की मितल पुत्र श्री कैलाश मितल

श्री विक्की मित्तल पुत्र श्री कैलाश चन्द्र द्वारा अरणा विहार आवासीय योजना में आवासीय भूखण्ड हेतु 4.5X9 मी =40.5 वर्ग मी. के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा भूखण्ड आवेदन के सलग्न 5000/– धरोहर राशि जमा करवाई थी।

प्रार्थी को लॉटरी द्वारा भूखण्ड संख्या सी 309 4.5X9 मी =40.5 साईज का भूखण्ड आवंटन हुआ, प्रार्थी से प्राधिकरण पत्रांक 812 दिनांक 20.04.2016 अधिस्वीकृत पत्राकार होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु पत्र भिजवाया गया, तत्पश्चात् दिनांक 04.11.2016 को अन्तिम नोटिस भी भिजवाया गया किन्तु प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया था।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.09.2017 को एक प्रार्थना पत्र के संलग्न अधिस्वीकृत पत्रकार का प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की है, जो लगभग 1 वर्ष 5 माह पश्चात् उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत किये है, अतः उपरोक्त भूखण्ड को निरस्त करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णायार्थ एंव विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी श्री विक्की मित्तल द्वारा दिनांक 16 जनवरी, 2016 को अरणा विहार योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन किया गया था। परन्तु अनेको निर्देश दिये जाने के पश्चात् भी आवेदक द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जो यह साबित करता हो कि वक्त आवेदन आवेदक अधिस्वीकृत पत्रकार थे। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है उसकी वैधता दिनांक 15 नवम्बर, 2015 तक ही है। अतः प्रार्थी को किया गया भूखण्ड आवंटन निरस्त किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 7 :: भूखण्ड संख्या 267 सेक्टर–ई राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा के बदले भूखण्ड आवंटन करने बाबत।

प्रार्थी श्री मोहम्मद रफीक पुत्र श्री लाल मोहम्मद को लॉटरी दिनांक 15.02.2010 को भूखण्ड संख्या 267 सेक्टर–'ई' राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा में आवंटन किया गया था । प्रार्थी द्वारा भूखण्ड की राशि जमा करवा कर लीजडीड दिनांक 08.06.2010 को प्राप्त कर

24.11.17

पंजीयन करवा ली गई । प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि आवंटित भूखण्ड तक पहुचने का कोई मार्गाधिकार नहीं है । भूखण्ड पहाडी पर है, पहुंचने के लिए 10 फीट गहरे गड्डे से जाया जा सकता है । मुझे इसी योजना में अन्य भूखण्ड आवंटन किया जावे ।

कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट मंगाई गई । जिसमें भी उल्लेख किय गया है कि प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड पहाडी पर है तथा भूखण्ड पर पहुचने के लिए किसी प्रकार की सम्पर्क सडक उपलब्ध नहीं है । वर्तमान में इसी योजना में भूखण्ड संख्या ई–59, ई–69 रिक्त बतायें है । जो 24 मीटर रोड पर स्थित है । साथ ही 12 मीटर रोड पर बी–236 रिक्त बताया है जो आधा पहाडी पत्थर पर स्थित है, और आधे में 5 से 7 फीट गहरा गड्डा है । प्रकरण प्रार्थी को समकक्ष वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन हेतु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 08.09.2017 के प्रस्ताव संख्या 19 पर रखा गया ।

निर्णय :– बैठक में बाद विचार सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को पूर्व में जो भूखण्ड आवंटित हुआ है वह 12 मीटर चौडी सडक पर हुआ है लिहाजा उसी चौडाई की सडक पर रिक्त भूखण्ड के संबंध में प्रार्थी से सहमति प्राप्त कर प्रकरण पुनः बैठक में प्रस्तुत किया जावें ।

प्रार्थी ने दिनांक 20.09.2014 को प्रार्थना पत्र पेश कर आवंटित भूखण्ड संख्या 267 सेक्टर–'ई' राजीव गांधी नगर के एवज में 12 मीटर सडक पर उपलब्ध भूखण्ड संख्या 236 सेक्टर–'बी' राजीव गांधी नगर आधा पहाडी पर व आधा भूखण्ड में 5 से 7 फिर गहरे खड्डे होने से लेने में असमर्थता प्रकट की है।

प्रार्थी ने 24 मीटर सडक पर उपलब्ध भूखण्ड संख्या 59 व 69 सेक्टर–'ई' राजीव गांधी नगर मे से कोई एक भूखण्ड लेने की सहमति दी है । प्रार्थी के आंवटित भूखण्ड संख्या 267 राजीव गांधी नगर सेक्टर–'ई' 12 मीटर सडक व प्रस्तावित भूखण्ड संख्या 59 व 69 सेक्टर–'ई' 24 मीटर सडक पर है । क्षैत्रफल समान है । प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष पुनः विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विचार विमर्श किया गया एवं यह पाया गया कि प्रार्थी को जो भूखण्ड दिनांक 15 फरवरी, 2010 को भूखण्ड संख्या 267 सेक्टर–ई राजीव गांधी नगर में आवंटित किया गया था वह गढ्ढे में स्थित है। प्रार्थी को दिनांक 15 फरवरी, 2010 को जो भूखण्ड आवंटित किया गया वह 12 मीटर चौडी सडक पर स्थित है परन्तु वर्तमान में 12 मीटर चौडी सडक पर उपलब्ध भूखण्ड संख्या 236 भी आधा पहाडी पर तथा आधा 5 – 7 फीट गहरे खड्डे में है। बैठक में प्रकरण पर विचारविमर्श से यह पाया गया कि किसी भी भूखण्ड की आवंटन दर उस भूखण्ड के सामने स्थित सडक की चौडाई पर निर्भर नहीं करती है वरन यह भूखण्ड के आकार तथा आवेदक की आय वर्ग पर निर्भर करती है। चूंकि इस प्रकरण विशेष में राजीव गांधी नगर में प्राप्त रिपोर्ट एवं विमर्श के अनुसार 12 मीटर चौडी सडक के सामने कोई समान आकार का भूखण्ड आवंटन योग्य उपलब्ध नहीं है लिहाजा प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 59 सेक्टर–ई राजीव गांधी नगर योजना जो कि 24 मीटर चौडी सडक पर स्थित है, बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से आवंटन करने करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: भूखण्ड संख्या 48 सेक्टर–2 रामराज नगर योजना में श्रीमती मधुबाला एवं महावीर चन्द तातेड को दोहरा आवंटन होने बाबत।

मधुबाला द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत संख्या 08170462426621 दिनांक 07.08.2017 को मुख्यमंत्री हेल्प लाईन पर दर्ज कराने पर प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार प्रकरण जांच कराई गई।

24.11.17

श्रीमति मधुबाला को भूखण्ड संख्या 48 सेक्टर 02 रामराज नगर दिनांक 14.10.2009 को लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटन हुआ था। प्रार्थी द्वारा भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिनांक 25.08.2009 को प्राप्त किया एवं लीज डीड भी दिनांक 25.08.2009 को प्राप्त कर ली थी।

श्री महावीर तातेड का भूखण्ड संख्या डी 233 कीर्ति नगर योजना में आवंटन हुआ था जिस पर अन्य व्यक्ति का कब्जा होने से प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड का कब्जा नहीं दिया जाने पर प्रार्थी द्वारा जिला उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज की गई जिला उपभोक्ता मंच के निर्णय की पालना में प्राधिकरण बैठक दिनांक 19.06.2009 को प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 48 सेक्टर 02 रामराज नगर का आवंटन करने का निर्णय लेकर प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिनांक 18.07.2012 को सुपुर्द किया था एवं प्रार्थी द्वारा आवंटित भूखण्ड की लीज डीड दिनांक 27.09.2012 को प्राप्त कर ली गई थी।

अतः दोनो प्रार्थीयों को एक ही भूखण्ड आवंटन होने से दोनो पक्षो को प्राधिकरण कार्यालय में बुलाया गया की किसी एक पक्ष को भूखण्ड रखने और दूसरे पक्ष को अन्य भूखण्ड देने बाबत् सहमति ली गई। साथ ही रिक्त भूखण्डो (समान आकार एव समान सडक चौडाई) का मौके पर प्रार्थीयों के साथ निरीक्षण भी करवाया गया। मधुबाला द्वारा भापथ पत्र प्रस्तुत कर वैकल्पिक भूखण्ड इसी योजना में भूखण्ड संख्या 172 सेक्टर एक (30X64 सडक की चौडाई 40 फीट) में (समान आकार व समान सडक की चौडाई) आवंटन करने की सहमति प्रस्तुत कर निवेदन किया की भूखण्ड संख्या 48 सेक्टर 02 रामराज नगर (30X64 सडक की चौडाई 60 फीट) की लीज डीड प्राप्त कर ली है, अतः मेरे द्वारा भूखण्ड संख्या 48 सेक्टर दो रामराज नगर का ही भूखण्ड रखने की सहमति प्रस्तुत की है।

चूंकि प्रार्थीयो की वैकल्पिक भूखण्ड संख्या 172 सेक्टर एक रामराज नगर एवं भूखण्ड संख्या 48 सेक्टर रामराज नगर दोनो की सैद्वातिक सहमति दी जा चूकी है, अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निणयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 48 सेक्टर–2 राजीव गांधी नगर योजना श्रीमती मधुबाला एवं श्री महावीर तातेड दोनों को ही आवंटन हो चुका है एवं दोनों को ही लीज डीड जारी हो चुकी है लेकिन मौके पर श्री महावीर तातेड का कब्जा है। ऐसी परिस्थिति में श्रीमती मधुबाला द्वारा दी गयी सहमति के आधार पर उन्हें रामराज नगर योजना में भूखण्ड संख्या 172 सेक्टर–1 समान आकार व समान सडक की चौडाई पर पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या 48 सेक्टर –2 के स्थान पर आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त आवंटन आदेश करने से पूर्व श्रीमती मधुबाला द्वारा पूर्व में प्राप्त लीज डीड व मूल पट्टा विलेख की प्रति प्राधिकरण में जमा करवायी जावे एवं निरस्तीकरण डीड उप पंजीयक कार्यालय से पंजीकृत करवाकर इस कार्यालय में पेश करें और इनसे शपथ पत्र प्राप्त किया जावे कि इन्होंने किसी संस्था/ व्यक्ति से इस लीज डीड के बदले कोई ऋण नहीं लिया है।

प्रस्ताव संख्या 9 :: साचिहर ब्राहमण समाज को सामुदायिक भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन करने के संबंध में।

प्राधिकृत अधिकारी सांचीहर ब्राह्मण समाज जोधपुर द्वारा नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र 'अ' भरकर सांचीहर ब्राह्मण समाज द्वारा ग्राम चौखा खसरा न. 659 मे 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया है।

24.11.17

उपरोक्त खसरे का तहसीलदार (पश्चिम) एंवम् पटवारी (पश्चिम) से मौका रिपोर्ट एंवम् राजस्व रिपोर्ट प्राप्त करने पर उपरोक्त खसरा राजस्व रिकॉर्ड मे जोधपुर विकास प्राधीकरण जोधपुर के नाम दर्ज है एंवम् रकबा 7 बीघा गैर–मुमकिन बारानी प्रथम है तथा चाही गई भूमि रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट के अनुसार खसरा न. 659 ग्राम चौखा का भू–उपयोग लेंडव्यूज प्लान 2023 के अन्तर्गत परिधि नियंत्रण पट्टी के अंतर्गत आरक्षित है। खसरा प्लान पार्ट लेण्ड गूगल मेप पर अंकित कर दर्शाया।

राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ 10 (35) यूडीएच/ 3/2010 पार्ट दिनांक 20.07. 2017 के अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में जारी किया गया है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का आदेश है।

संस्था द्वारा नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र 'अ' भरकर निवेदन किया है कि सामुदायिक केन्द्र हेतु आवंटन भूमि रियायती दर पर आवंटन करने का अनुरोध किया है अतः रियायती दर पर आवंटन करने का क्षेत्राधिकार राज्य सरकार में निहित है एवम् सामुदायिक केन्द्र हेतु संभागीय मुख्यालय/छोडकर 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति में विचारार्थ/ निर्णयार्थ रखने हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि साचिहर ब्राह्मण समाज द्वारा सामुदायिक भवन निर्माण हेतु ग्राम चौखा के खसरा संख्या 659 में 1500 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित दर की आधी दर पर आवंटन करने के लिए आवेदन किया है। उक्त भूमि का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2023 के अनुसार परिधि नियंत्रण पट्टी के अन्तर्गत आता है। राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ. 10 (35) यूडीएच/ 3/ 2010 पार्ट दिनांक 20 जुलाई, 2017 के अनुसार व्यापक जनहित में मास्टर प्लान में परिवर्तन किया जा सकता हैं। चूंकि उक्त आदेश के बिन्दु संख्या–4 में वर्णित है कि, "Non profit earning Charitable Trust, Institutions and entities which are eligible for allotment of land under the State Policy for allotment of land on concessional rates." । चूंकि उक्त संस्था बिन्दु संख्या–4 के अन्तर्गत कवर होती है लिहाजा प्रकरण में आवेदक संस्था को भूमि आवंटन करने हेतु स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 10 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के अधिकारियों एवम कर्मचारियों के लिए सम्राट अशोक उद्यान में स्थित इवेन्ट गार्डन के किराये में 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने बाबत।

प्रस्ताव संख्या 1:: राजस्थान आवासान मण्डल जयपुर का परिपत्र क्रमांक प. 16/मुसप्र/सामुदारिक भवन/09–10/2001 जयपुर दिनांक 26.02.2010 के अनुसार आवासन मण्डल के अधिकारियों एवम् कर्मचारियों के लिए केन्द्र के किराये की राशि में 50 प्रतिशत की छुट प्रदान की गई है। इसी क्रम में कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के श्रमिक कर्मचारी संघ की ओर से आयुक्त महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को दिनांक 30.03. 2017 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जोधपुर में निर्मित सम्राट अशोक उद्यान में स्थित सामुदायिक भवन (ईवेन्ट गार्डन) के किराये की राशि में मण्डल कर्मचारियों की भांति अब प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी उनके पारिवारिक कार्यों के लिए सम्राट अशोक उद्यान में स्थित सामुदायिक भवन (ईवेन्ट गार्डन) के

24.11.17

किराये की राशि में छुट प्रदान की जावें। इस क्रम में प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को भी उनके स्वयं के पारिवारिक सदस्यों के सम्बन्ध में आयोजन हेतु सम्राट अशोक उद्यान में स्थित सामुदायिक भवन (ईवेन्ट गार्डन) के किराये की राशि में छुट प्रदान करने के साथ ही मण्डल के परिपत्र 2010 की पालनार्थ प्राधिकरण द्वारा आयोजित किये जाने वाले सार्वजनिक समारोह यथा प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृती पर आयोजित विदाई समारोह, खेलकुद प्रतियोगिताएं, होली एवम् दिपावली स्नेह मिलन समारोह इत्यादि हेतु जोधपुर में निर्मित सम्राट अशोक उद्यान में स्थित सामुदायिक भवन (ईवेन्ट गार्डन) उपलब्ध होने पर ही निशुल्क दिया जाना प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी समस्त बुकिंग के लिए अशोक उद्यान में स्थित सामुदायिक भवन एवं इवेन्ट गार्डन की वर्तमान दर में 50 प्रतिशत वृद्धि करते हुए किरोय की राशि को डेढ़ गुणा किया जावे और इसमें जी.एस.टी. अलग से प्राप्त किया जावे। जोधपुर विकास प्राधिकरण के कार्यरत् अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ती, विदाई समारोह, विभागीय खेलकूद प्रतियोगिता, होली व दीपावली स्नेह मिलन समारोह तथा प्राधिकरण में कार्यरत् अधिकारी/कर्मचारी के पुत्र तथा पुत्री के विवाह तथा उनके पारिवारिक कार्यक्रम के लिए आवेदन प्राप्त होने पर उपलब्धता के आधार पर प्रचलित आवंटन दर करने की 60 प्रतिशत रखी जावे। उक्त पूर्ण प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से लागू किया जावे। यह रियायती एक समय में अधिकतम 3 दिवस के लिए देय होगी इससे अधिक अवधि के लिए (तीन दिवस के अलावा अतिरिक्त अवधि) का किराया प्रचलित सामान्य दर से लागू होगा। उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार बढी हुई दरें, रियायती दरें तत्काल प्रभाव से आगामी होने वाली समस्त बुकिंग के लिए लागू की जावे एवं अभी जो बुकिंग हो चुकी है एवं जिसमें राशि जमा हो चुकी है, उनके लिए यह प्रावधान लागू नहीं रहेगा। चूंकि प्रकरण नीतिगत निर्णय का है इसलिए इसके अनुमोदन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 11 :: स्टेशनरी आपूर्ति का कार्य (वार्षिक दर संविदा)

प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा सूचना संख्या 06/2017–18 दिनांक 16.08.2017 में मैसर्स शांता प्रिन्टर्स की दरे न्युनतम पाई गई। अतः उक्त दरो में नेगोशियेशन हेतु प्राधिकरण के पत्रांक 2150 दिनांक 14.09.2017 के तहत पत्र जारी किया गया। जिसमें संवेदक ने अपने पत्र दिनांक 19.08.2017 के तहत प्रस्तुत दरो में 7.5 प्रतिशत की कमी करने की सहमति प्रदान की। जिसे सक्षम कमेटी ने विचार विमर्श कर समस्त दरे जीएसटी को सम्मलित करते हुए 7.5 प्रतिशत प्रिमियम कुल खरीद पर राशि कम कर भुगतान किये जाने की सहमति हेतु प्राधिकरण पत्रांक 2335 दिनांक 11.10.2017 के तहत संवेदक को सहमति हेतु पत्र लिखा जिसके प्रत्युतर मे संवेदक ने अपने पत्र दिनांक 17.10.2017 के तहत 7.5 प्रतिशत छूट का प्रस्ताव जीएसटी के अतिरिक्त के साथ माना जाये क्योकि निविदा के बिड प्रपत्र में (BOQ) दरे करो को छोडकर मांगी गई है। जिसे कमेटी ने विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया कि जीएसटी की अतिरिक्त लागत प्राधिकरण द्वारा वहन करते हुए नया कार्यादेश जारी करने हेतु उक्त प्रकरण उच्चतर समिति के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। जिस पर उच्चतर समिति ने नेगोशियेशन पश्चात संवेदक द्वारा दी गई दर जिस पर जीएसटी अतिरिक्त हैं को कार्यकारी समिति की प्रत्याशा मे अनुमोदित किया। अतः उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निणयार्थ प्रस्तुत है।

24.11.17

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव अनुसार स्टेशनरी आपूर्ति का वार्षिक दर संविदा 7.50 प्रतिशत नेगोशिएशन दर पर कमी एवं जी.एस.टी. अतिरिक्त को सर्व सममति से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: फलेक्स/ होर्डिंग्स बनाकर लगाने का कार्य (वार्षिक दर संविदा)

प्राधिकरण द्वारा जारी कार्यादेश एफ 38 (07) 2017–18 के तहत कार्य का नाम फ्लेक्स/ होर्डिंग्स बनाकर लगाने का कार्य (वार्षिक दर संविदा) मैसर्स चित्रा क्रियेशन एण्ड एडवरटाईसिंग को जारी किया गया है। जिसमें फ्लेक्स/होर्डिंग्स बनाकर लगाने की वार्षिक दर संविदा आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी समिति की प्रत्याक्षा मे दर स्वीकृत करते हुए संबंधित फर्म को कार्यादेश जारी किया गया। अतः फ्लेक्स/होर्डिंग्स बनाकर लगाने की वार्षिक दरे कार्यकारी समिति मे अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से फलेक्स/हॉर्डिंग बनाने के कार्य की वार्षिक दर संविदा जो मैसर्स चित्रा क्रियेशन एण्ड एडवरटाईजमेंट को आयुक्त महोदय द्वारा कार्यकारी समिति की स्वीकृति की प्रत्याक्षा में स्वीकृत किया गया है, उसका अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: श्रीमती सन्तोष मेहरा पत्नी स्व. श्री प्रेम मेहरा भूखण्ड संख्या 293 सेक्टर–01, रामराज नगर योजना के संबंध में।

श्री प्रेम मेहरा पुत्र श्री दयाराम को नगर विकास जोधपुर द्वारा दिनांक 14.07.2008 को निकाली लॉटरी में भूखण्ड संख्या 293 सेक्टर 1 रामराज नगर नाप 39 X69 यानी 250.00 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था । श्री प्रेम मेहरा द्वारा भूखण्ड की बकाया राशि निर्धारित समयावधि में जमा नहीं कराने से भूखण्ड भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 17(5) की श्रेणी में आ गया । जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 22.05. 2012 एवं राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक :– प. 3(258)नविवि/3/2012 जयपुर दिनांक 16.01.2013 के अनुसार भूखण्ड की बकाया राशि मय 15 प्रतिशत व 10 प्रतिशत शास्ती सहित कुल रूपये 4,53,259.00 जरिये रसीद संख्या 9001/73970 दिनांक 15.03.2013 द्वारा प्राधिकरण कोष में जमा करवा लिये गये ।

भूखण्ड संख्या 293 सेक्टर 1 रामराज नगर ग्राम चौखा के मूल आवंटी श्री प्रेम मेहरा पुत्र स्व. श्री दयाराम का स्वर्गवास दिनांक 17.04.2013 को हो जाने के कारण उनके घोषित वारिसों द्वारा निष्पादित पंजीकृत हकतर्क नामा दिनांक 17.05.2013 के द्वारा भूखण्ड संख्या 293 सेक्टर 1 रामराज नगर चौखा के अपने हक अपनी माताजी श्रीमति संतोष मेहरा पत्नी स्व. श्री प्रेम मेहरा के हक में निष्पादित कर दिये । प्राधिकरण के द्वारा आवश्यक कार्यवाही करते भूखण्ड संख्या 293 सेक्टर 1 रामराज नगर चौखा कार्यालय आदेश क्रमांकः– एफ–48/वसूली/2015/553–557 दिनांक 30.07.2015 के द्वारा श्रीमति संतोष मेहरा पत्नी स्व. श्री प्रेम मेहरा के नाम नामान्तरण कर दिया गया।

श्रीमति संतोष मेहरा पत्नी स्व. श्री प्रेम मेहरा ने आवंटित भूखण्ड 293 सेक्टर 1 रामराज नगर चौखा की लीजडीड जारी करने की मांग पर क्षैत्र के कनिष्ठ अभियन्ता एवं पटवारी से संयुक्त मौका रिपोर्ट मंगवाई गई । जिसके अनुसार प्रार्थीनी के भूखण्ड पर एवं भूखण्ड के सामने अतिक्रमण पाया गया । मौके पर एवं क्षैत्र में हुए अतिक्रमण के कारण आवंटी को भूखण्ड

24.11.17

की लीजडीड जारी किया जाना संम्भव नहीं है। अतः आवंटी को समकक्ष वैकल्पिक भूखण्ड जिसका क्षैत्रफल 39 X 69 यानि 250 वर्गमीटर सडक 40 फीट पर दिये जाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्रीमती संतोष मेहरा पत्नि स्व. श्री प्रेम मेहरा के आवेदन पर विचार विमर्श किया गया एवं श्री प्रेम मेहरा पुत्र श्री दयाराम जिन्हें भूखण्ड संख्या 293 सेक्टर–1, रामराज नगर योजना बनाप 39 फीट गुणा 69 फीट आवंटित किया गया था एवं जिनके द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति के कम में संपूर्ण राशि दिनांक 15 मार्च, 2013 को जमा करवा दी गयी थी एवं मौके पर अतिक्रमण होने के कारण श्री प्रेम मेहरा के स्वर्गवास के पश्चात् उनकी पत्नि श्रीमती संतोष मेहरा को उक्त भूखण्ड की लीज डीड जारी नहीं की जा सकी। लिहाजा श्रीमती संतोष मेहरा को समान आकार एवं समान चौडाई की सडक पर वैकल्पिक भूखण्ड रामराज नगर में आवंटित करने की सहमति प्रदान करने पर आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या 14 :: भूखण्ड संख्या 92 सेक्टर–ए अरणा विहार योजना ग्राम बडली की राशि जमा कराने के बाबत।

प्राधिकरण द्वारा लॉटरी दिनांक 12.03.2016 के द्वारा भूखण्ड संख्या 92 सेक्टर–'ए' श्रीमति गजरो देवी पत्नी श्री मेधाराम प्रजापत को आवंटन किया गया था । भूखण्ड का आवंटन पत्र श्रीमति गजरो देवी पत्नी श्री मेधाराम प्रजापत को क्रमांक 112 दिनांक 28.03.2016 के द्वारा जारी किया गया । आवंटी श्रीमति गजरो देवी पत्नी श्री मेधाराम प्रजापत द्वारा आवंटन पत्र प्राप्ति के निर्धारित समयावधि 30 दिवस में राशि जमा कराना अनिवार्य था । इसके पश्चात् 60 दिवस तक 15 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा करवानी थी, लेकिन प्रार्थीनी द्वारा समय पर राशि जमा नहीं कराई गई । 90 दिवस पश्चात् प्रार्थीनी का भूखण्ड स्वतः निरस्त हो चुका है । प्रार्थीनी द्वारा ई–चालान 2768 दिनांक 17.08.2017 को जरिये एक्सिस बैंक में भूखण्ड की राशि रूपये 27,87,600/– जमा करा दिये है । जो 133 दिन पश्चात् जमा है । प्रार्थीनी ने प्रार्थना–पत्र पेश कर भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की मांग की है । भूमि निष्पादन अधिनियम 1974 (17)(5) के अनुसार एक वर्ष तक आयुक्त महोदय की स्वीकृति के पश्चात् राशि ब्याज व शास्ती सहित जमा की जा सकती है । आवंटी ने भूखण्ड की बकाया राशि 133 दिन पश्चात् जमा करवाई है । प्रकरण आवंटन तिथि से एक वर्ष से 2 वर्ष के बीच का है । पत्रावली के पैरा 15 व 16 के निर्णय अनुसार प्रकरण कार्यकारी समिति के निर्णय के पश्चात् बकाया राशि पर 15 प्रतिशत ब्याज व 5 प्रतिशत शास्ती सहित राशि जमा की जानी है ।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

भूखण्ड संख्या 92 सेक्टर–ए अरणा विहार योजना ग्राम बडली की आवंटी श्रीमती गजरा देवी पत्नि श्री मेघाराम प्रजापत ने भी निरस्तीकरण के प्रावधानों की समय सीमा के पश्चात् राशि मय ब्याज जमा करवायी है एवं चूंकि मूल आवंटन पत्र दिनांक 28 मार्च, 2016 को जारी किया गया था लिहाजा प्रकरण आवंटन तिथि से एक वर्ष से 2 वर्ष के भीतर का होने के कारण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ जिसमें बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में नियमानुसार ब्याज व शास्ति वसूल करते हुए भूखण्ड आवंटन को बहाल करने का निर्णय लिया गया।

24.11.17

प्रस्ताव संख्या 15 :: भूखण्ड संख्या 333 सेक्टर–सी अरणा विहार योजना ग्राम बडली की राशि जमा कराने बाबत।

प्राधिकरण द्वारा लॉटरी दिनांक 12.03.2016 के द्वारा भूखण्ड संख्या 333 सेक्टर–'सी' श्रीमति रामेश्वरी पत्नी श्री ताराचन्द को आवंटन किया गया था । भूखण्ड का आवंटन पत्र श्रीमति रामेश्वरी पत्नी श्री ताराचन्द को क्रमांक 1000 दिनांक 16.05.2016 के द्वारा जारी किया गया । आवंटी श्रीमति रामेश्वरी पत्नी श्री ताराचन्द द्वारा आवंटन पत्र प्राप्ति के निर्धारित समयावधि 30 दिवस में राशि जमा कराना अनिवार्य था । इसके पश्चात् 60 दिवस तक 15 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा करवानी थी, प्रार्थीनी द्वारा राशि आवंटन पत्र जारी होने के 102 दिन बाद ई–चालान 100102 दिनांक 12.09.2016 को इंडसन बैंक में जमा कराई गई । 90 दिवस पश्चात् प्रार्थी का भूखण्ड स्वतः निरस्त हो जाता है, प्रार्थीनी ने प्रार्थना–पत्र पेश कर भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की मांग की है । भूमि निष्पादन अधिनियम 1974 (17)(5) के अनुसार एक वर्ष तक आयुक्त महोदय की स्वीकृति के पश्चात् राशि ब्याज व शास्ती सहित जमा की जा सकती है । प्रकरण आवंटन तिथी से एक वर्ष से अधिक का होने से कार्यकारी समिति बैठक में (दिनांक 16.05.2016 को आवंटन पत्र जारी हुआ) 90 दिवस अर्थात 16.08.2016 तक जमा करवाया जाना था । चूंकि प्रकरण में आज दिनांक तक स्वतः निरस्तीकरण के पश्चात् 1 वर्ष की अवधि बीत चुकी है । तो बकाया राशि पर 15 प्रतिशत ब्याज व 5 प्रतिशत शास्ती सहित राशि जमा की जानी है ।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 333 सेक्टर–सी अरणा विहार योजना ग्राम बडली जिसका आवंटन पत्र श्रीमती रामेश्वरी पत्नि श्री ताराचन्द को दिनांक 16 मई, 2016 को जारी किया गया था एवं ऐसे निरस्तीकरण की तिथि से प्रकरण 1 वर्ष से 2 वर्ष की अवधि के बीच का है जो कि प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के क्षैत्राधिकार में आता है। लिहाजा बकाया राशि पर नियमानुसार ब्याज व शास्ती वसूल करते हुए प्रकरण में भूखण्ड आवंटन को बहाल किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 16 :: भूखण्ड संख्या 258 सेक्टर–बी अरणा विहार योजना ग्राम बडली की राशि जमा कराने बाबत।

प्राधिकरण द्वारा लॉटरी दिनांक 12.03.2016 के द्वारा भूखण्ड संख्या 258 सेक्टर–'बी' श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री करण सिंह को आवंटन किया गया था । भूखण्ड का आवंटन पत्र श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री करण सिंह को क्रमांक 932 दिनांक 13.05.2016 के द्वारा जारी किया गया । आवंटी श्री दिलीप सिंह पुत्र श्री करण सिंह द्वारा आवंटन पत्र प्राप्ति के निर्धारित समयावधि 30 दिवस में राशि जमा कराना अनिवार्य था । इसके पश्चात् 60 दिवस तक 15 प्रतिशत ब्याज सहित राशि जमा करवानी थी, प्रार्थीनी द्वारा राशि आवंटन पत्र जारी होने के एक वर्ष पश्चात् जमा कराने की मांग की गई है । 90 दिवस पश्चात् प्रार्थी का भूखण्ड स्वतः निरस्त हो चुका है, प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र पेश कर भूखण्ड की राशि जमा कराने की मांग की है । भूमि निष्पादन अधिनियम 1974 (17)(5) के अनुसार एक वर्ष पश्चात् कार्यकारी समिति की स्वीकृति के पश्चात् राशि ब्याज व शास्ती सहित जमा की जा सकती है । प्रकरण कार्यकारी समिति के निर्णय के पश्चात् बकाया राशि पर 15 प्रतिशत ब्याज व 5 प्रतिशत शास्ती सहित राशि जमा की जानी है ।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष निरस्तीकरण के लिए विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

24.11.17

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 258 सेक्टर–बी अरणा विहार योजना ग्राम बडली का भूखण्ड श्री दिलीपसिंह पुत्र श्री कर्णसिंह को आवंटन किया गया था। जिसका आवंटन पत्र दिनांक 13 मई, 2016 को जारी हुआ। जो कि स्वतः निरस्तीकरण की तिथि से प्रकरण 1 वर्ष व 2 वर्ष की अवधि के बीच का है जो कि कार्यकारी समिति के क्षैत्राधिकार में आता है। अतः नियमानुसार ब्याज व शास्ती वसूल करते हुए प्रकरण में भूखण्ड आवंटन को बहाल किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 17 :: भूखण्ड संख्या 310 दन्तोपंत ढेगडी नगर योजना ग्राम चौखा की भिन्न आय वर्ग की राशि जमा कराने बाबत।

श्री उमराव चन्द परिहार पुत्र श्री मगराज परिहार के आवेदन पत्र क्रमांक 1538 पेश कर न्यास की दन्तोपंत ढेगडी नगर योजना में भूखण्ड आवंटन हेतू आवेदन पत्र पेश किया । न्यास द्वारा निकाली गई लॉटरी दिनांक 25.07.2008 को श्री उमराव चन्द को भूखण्ड संख्या 310 नाप 30 64=178.36 वर्गमीटर का आवंटन हुआ । जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3892 दिनांक 18. 08.2008 को जारी हुआ है । भूखण्ड की आवंटन राशि रूपये 15,4001/– आवंटी श्री उमराव चन्द द्वारा जरिये रसीद संख्या 43999 दिनांक 15.09.2008 को जमा करवा दिये एवं लीजडीड के लिये आवेदन किया । लीजडीड जारी करने से पूर्व पेश आवेदन पत्र क्रमांक 1538 व सलंग्न दस्तावेजो की जांच की गई । जिस प्रकार निम्न तथ्य सामने आयें ।

1. आवेदक श्री उमराव चन्द के आवेदन पत्र के क्रम संख्या 6 आवेदक की समस्त श्रोतो से मासिक आय वर्ग 4 में 12001/– से 20,000/– तक में (√)सही का निशान लगाया ।
2. आवेदक पत्र के क्रम संख्या 7 (स–1) 178.36 व 217.94 वर्गमीटर के लिये (√) सही का निशान लगाया ।
3. तहसीलदार (भू.अ.) भोपालगढ द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र में आवेदक श्री उमराव चन्द की मासिक आय रूपये 16,348/– अंकित है । इस प्रकार प्रकरण भिन्न आय वर्ग में आवेदन करने का पाया गया । आवेदक ने अपनी मासिक आय से भिन्न आय वर्ग के निर्धारित क्षैत्रफल हेतु आवेदन किया है ।

इस प्रकार के दन्तोपंत ढेगडी नगर योजना व रामराज नगर योजना में कुल 110 प्रकरण सामने आयें । सभी प्रकरणों के उचित निस्तारण हेतु प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13. 04.2010 में विचारार्थ हेतु निर्णयार्थ रखा गया था ।

प्रस्ताव संख्या 4(1) में निर्णय लिया गया कि "**वाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि दन्तोपंत ढेगडी एवं रामराज नगर में जिन आवेदकों ने अपने निर्धारित आय वर्ग से निम्न आय वर्ग के लिए आवेदन किया था, प्रथम दृष्टया उन्हे सही नहीं माना गया । इस प्रकार के भूखण्ड धारियों के भूखण्डों का आवंटियों द्वारा अपने निर्धारित आय वर्ग की दर एवं उससे उच्च आय वर्ग की राशि शास्ति के रूप में जमा करवाने पर नियमन करने का निर्णय लिया गया**" ।

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.04.2010 के प्रस्ताव संख्या 4(1) में लिये गये निर्णय के अनुरूप प्राधिकरण द्वारा आवेदक से भिन्न आय वर्ग में आवेदन करने की शास्ती रूपये 52,170/– वसुल करने हेतु पत्र क्रमांक 1616 दिनांक 12.07.2010 को जारी किया गया । उक्त राशि रूपये 52,170/– आज दिनांक तक जमा नहीं है । आवेदक श्री उमराव चन्द द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 01.06.2017 में जाहिर किया है कि उसे उक्त जारी मांग पत्र दिनांक

24.11.17

12.07.2010 प्राप्त नहीं हुआ । एक अन्य प्रार्थना पत्र दिनांक 23.06.2017 में जाहिर किया है कि यदि उसके द्वारा आवेदन पत्र में गलत सूचना पेश की तो उसका आवेदन उसी समय खारिज क्यों नहीं किया गया एवं उसे बताया जावें कि उससे जो राशि रूपये 52,170/– वसूल किये जा रहे है, वह राशि किस मद में जमा करवाई जा रही है ।

आवेदक से राशि रूपये 52,170/– वसूल करने के निर्णय के क्रम में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री उमराव चन्द परिहार पुत्र श्री मगराज परिहार को देय राशि जमा कराने के लिए अन्तिम नोटिस जारी किया जावे तथा उसके पश्चात् नियमानुसार निर्णय लिया जावे।

प्रस्ताव संख्या 18 :: भूखण्ड संख्या ए–241 मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना की अश्विनी कुमार को अन्यत्र भूखण्ड आवंटन बाबत।

भूखण्ड संख्या 241 सेक्टर ए बनाप 200 वर्गगज मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना का आवंटन लॉटरी दिनांक 04.03.1999 द्वारा आवेदन पत्र क्रमांक 640 आवेदक श्रीमति रमावती पुत्री श्री मोहनपुरी गोस्वामी का किया गया था। आवंटी द्वारा जरिये रसीद संख्या 25 दि. 24.03.1999 द्वारा भूखण्ड की राशि रूपये 61888 जमा करवा दिये गये। उक्त भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 31.03.2000 को श्रीमति रमावती पत्नि हेमन्तपुरी गोस्वामी के नाम से जारी की गई। उक्त भूखण्ड की एक मुश्त लीज राशि जरिये रसीद संख्या 9001/819 दिनांक 29.03.2009 के द्वारा जमा करवाई जा चुकी है तथा प्रार्थीया के आवेदन पर दिनांक 24.01.2012 को लीजमुक्ति प्रमाण पत्र भी जारी है।

तत्पश्चात् मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना हेतु दिनांक 25.04.2008 को निकाली गई लॉटरी में पुनः भूखण्ड संख्या 241 सेक्टर ए का आवंटन श्री अश्विनी कुमार पुत्र श्री ताराचन्द का किया गया। भूखण्ड की किमत जरिये रसीद संख्या 40778 दि. 11.08.2008 व 6709 दि. 25.02.2008 के द्वारा जमा करवाई जा चुकी है। अतः श्री अश्विनी कुमार पुत्र श्री ताराचन्द को अन्य योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23.04.2013 रखा गया था जिसमें निर्णय लिया कि प्रार्थी द्वारा राजीव गांधी योजना मे भूखण्ड लेने इच्छुक है तो सहमति पत्र लिया जाकर भूखण्ड राजीव गांधी योजना मे आवंटन किया जावें। प्रार्थी द्वारा इस पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि मुझे मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना मे ही भूखण्ड आवंटन किया जावें।

प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति बेठक दिनांक 11.03.2015 कि निर्णय अनुसार प्रार्थी अन्य योजना हेतु विकल्प मांगे गये थे। प्रार्थी द्वारा विकल्प मे निम्न योजना का प्रस्तुत किया है–

1. विजयाराजे सिंधिया नगर
2. विवेक विहार
3. रामराज नगर
4. दन्तोपंत ढेगड़ी नगर

चूंकि उपरोक्त योजना मे भूखण्ड रिक्त नही होने से राजीव गांधी योजना मे 9ग18 मी. साईज के भूखण्ड संख्या बी 188 एंवम बी 209 की कनिष्ठ अभियंता से रिपोर्ट मंगवाने पर उपरोक्त दोनो भूखण्ड रिक्त दर्शाये है एंवम बी 209 राजीव गांधी योजना का भूखण्ड हाल ही

24.11.17

मे श्री जगदीश चन्द्र जी को उपभोक्ता मंच के निर्णय की पालना मे कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 08.09.2017 को आवंटन करने का निर्णय लिया गया है।

भूखण्ड संख्या बी 188 राजीव गांधी योजना के सड़क की चौड़ाई 9मीटर है एंवम ए 241 मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना की सड़क की चौड़ाई 40फीट है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक मे निर्णायार्थ एंवम विचारार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या ए–241 मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया योजना में 200 वर्ग गज का भूखण्ड जरिये लॉटरी दिनांक 25 अप्रैल, 2008 को आवंटित किया गया। चूंकि उक्त भूखण्ड पर पूर्व में श्रीमती रमावती पुत्री श्री मोहनपुरी गोस्वामी को आवंटित किया जा चुका है। अतः वर्तमान में उपलब्ध भूखण्ड संख्या बी–188, राजीव गांधी योजना क संबंध में श्री अश्विनी कुमार पुत्र श्री ताराचन्द से सहमति प्राप्त कर आवंटन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 19 :: बाल सचिवालय के संचालन शिशु गृह आदर्श गृह बाल गृह एवं बाल सुधार गृह की स्थापना एवं बाल कल्याण के लिए खसरा नं. 73 ग्राम आंगणवा रकबा 56.10 बीघा में से 5 बीघा भूमि आवंटन हेतु।

बाल सचिवालय के संचालन शिशु गृह आदर्श शिशु गृह बाल गृह एवं बाल सुधार गृह की स्थापना एवं बाल कल्याण की विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति हेतु आदर्श केन्द्रों की स्थापना हेतु भूमि आवंटन के लिये सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर ने 5.00 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र–स में आवेदन प्रस्तुत किया हैं। पटवारी उतर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं. 73 रकबा 56.10 बीघा किस्म गै.मु. पहाड़ में से 5.00 बीघा भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध हैं। आयोजना शाखा की रिपोर्ट पैरा 5/एन के अनुसार भू–उपयोग सुरपुरा से आंगणवा जाने वाली सड़क पर (ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा) के नीचे की तरफ वाला कार्यशियल एवं उसके बाद का भाग आवासीय आरक्षित हैं। पैरा/10एन के अनुसार संस्थानिक क्षेत्र में बाल अपचारी सदन अनुज्ञेय हैं। बाल सचिवालय के संचालन, शिशु गृह आदर्श शिशु गृह एवं बाल सुधार गृह की स्थापना एवं बाल कल्याण की विभिन्न योजनाओं की कियान्विति हेतु आदर्श केन्द्रों की स्थापना हेतु भूमि आवंटन प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर ने 5 बीघा भूमि खसरा संख्या 53 रकबा 56 बीघा 10 बिस्वा भूमि सूरपुरा में आंगणवा जाने वाली सडक पर मांग की है। यह मांग बाल सचिवालय के संचालन, शिशगृह एवं बाल सुधारगृह की स्थापना एवं बाल कल्याण की विभिन्न योजनाओं की कियान्विति हेतु आदर्श केन्द्रों की स्थापना बाबत की गयी है। अतः प्रकरण में निःशुल्क भूमि आवंटन के लिए प्रकरण राज्य सरकार को सक्षम स्वीकृति हेतु भिजवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 20 :: ग्राम पंचायत लवेरा खुर्द खसरा संख्या 734 तहसील बावडी ग्रम पंवायत भवन हेतु 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन हेतु।

24.11.17

ग्राम पंचायत लवेरा खुर्द खसरा 734 तहसील बावड़ी ग्राम पचांयत भवन हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु पपत्र 'स' ग्राम सेवक/ पदेन सचिव एवं विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा सं 734 ग्राम लवेरा खुर्द तहसील बावड़ी की किस्म गे मु दरड़ा प्राधिकरण के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा रिपोर्ट अनुसार मास्टर प्लान–2031 में यू–3 में पंचायत भवन हेतु अनुज्ञेय है।

अतः प्रकरण राज्य सरकार के निद्रेशानुसार 1000 वर्गमीटर ग्राम पंचायत लवेरा खुर्द खसरा 734 तहसील बावड़ी में पंवायत भवन हेतु निशुल्क आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में विचाराधीन एवं निणयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि तहसील बावडी के ग्राम लवेराखुर्द खसरा संख्या 734 किस्म गैर मुमकिन दरड़ा पंचायत भवन हेतु 1000 वर्ग मीटर भूमि राज्य सरकार (नगरीय विकास विभाग) के आदेश कमांक एफ. 3 (55) नविवि/3/2002 दिनांक 25 नवम्बर, 2016 के बिन्दु संख्या–1 के तहत राजकीय विभागों को उनके कार्यालय हेतु 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या 21 :: भूखण्ड संख्या 54 सेक्टर–सी मण्डलनाथ आवासीय योजना में ब्याज एवं शास्ती जमा कराने के संबंध में।

भूखण्ड स. 54 सेक्टर सी मण्डलनाथ आवासीय योजना का लॉटरी दिनांक 12.9.2015 को क्षेत्रफल 40 बाई 60 = 222.97 वर्गमीटर का श्री गणेश कुमार पुत्र श्री चुन्नीलाल को आवंटित हुआ था। प्रार्थी को आवंटन पत्र क्रमांक 1374 दिनांक 29.02.2016 को जारी किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड की बकाया राशि, ब्याज एवं शास्ती जमा करा कर भूखण्ड बहाल करने का निवेदन किया है।

आवंटन पत्र 29.02.2016 को जारी किया जा चुका है। जो एक वर्ष 9 माह देरी हो चुकी है। भूखण्ड स्वतः ही निरस्त हो चुका हैं। नियमन/ बहाल हेतुः–:

90 दिवस से 1 वर्ष की अवधि सभापति (आयुक्त महोदय)
1 वर्ष से 2 वर्ष तक ऑर्थोरटी
2 वर्ष से अधिक की अवधि राज्य सरकार
नियमन/ बहाल में निम्न राशि वसूल करने का प्रावधान है।
6 माह तक 15 प्रतिशत ब्याज व 5 प्रतिशत शास्ति
6 माह से अधिक 15 प्रतिशत व 10 प्रतिशत शास्ति

उक्त भूखण्ड की राशि 1 वर्ष 9 माह हो चुके है तथा 2 वर्ष के भीतर है। अतः भूखण्ड की बकाया राशि, ब्याज एंव शास्ति वसूल किये जाने एंव भूखण्ड बहाल हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति मे प्रकरण रखा जाने हेतु वास्ते निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

24.11.17

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 24 सेक्टर–सी मण्डलनाथ आवासीय योजना श्री गणेश कुमार पुत्र श्री चुन्नीलाल को आवंटित भूखण्ड का आवंटन पत्र दिनांक 29 फरवरी, 2016 को जारी किया गया था जिसकी राशि उनके द्वारा पहले जमा नहीं करवायी गयी। लिहाजा प्रकरण कार्यकारी समिति के क्षैत्राधिकार का होने से नियमानुसार ब्याज व शास्ति वसूल करते हुए भूखण्ड को बहाल करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 22 :: भूखण्ड संख्या 55 सेक्टर–बी मण्डलनाथ आवासीय योजना में ब्याज एवं शास्ती जमा कराने के संबंध में।

भूखण्ड स. 55 सेक्टर बी मण्डलनाथ आवासीय योजना का लॉटरी दिनांक12.9.2015 को क्षेत्रफल 30 बाई 60 = 167.22 वर्गमीटर का श्री रामप्रसाद भील पुत्र श्री सायरा कुमार भील को आवंटित हुआ था। प्रार्थी को आवंटन पत्र क्रमांक 895 दिनांक 22.12.2015 को जारी किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड की बकाया राशि, ब्याज एवं शास्ती जमा करा कर भूखण्ड बहाल करने का निवेदन किया है।

आवंटन पत्र 22.12.2015 को जारी किया जा चुका है। जो एक वर्ष 10 माह देरी हो चुकी है। भूखण्ड स्वतः ही निरस्त हो चुका हैं। नियमन/ बहाल हेतुः–:

90 दिवस से 1 वर्ष की अवधि सभापति (आयुक्त महोदय)

1 वर्ष से 2 वर्ष तक ऑथोरटी

2 वर्ष से अधिक की अवधि राज्य सरकार नियमन/000बहाल में निम्न राशि वसूल करने का प्रावधान है।

6 माह तक 15 प्रतिशत ब्याज व 5 प्रतिशत शास्ति

6 माह से अधिक 15 प्रतिशत व 10 प्रतिशत शारित

उक्त भूखण्ड की राशि 1 वर्ष 10 माह हो चुके है तथा 2 वर्ष के भीतर है। अतः भूखण्ड की बकाया राशि, ब्याज एंव शास्ति वसूल किये जाने एंव भूखण्ड बहाल हेतु प्राधिकरण की कार्यकारीसमिति मे प्रकरण रखा जाने हेतु वास्ते निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखण्ड संख्या 55 सेक्टर–सी मण्डलनाथ योजना में श्री राम प्रसाद भील पुत्र श्री सायरा कुमार भील को दिनांक 22 दिसम्बर, 2015 को आवंटन–पत्र जारी किया गया जिसकी राशि उनके द्वारा जमा नहीं करवायी गयी। अब राशि जमा करवाने के लिए अनुरोध किया गया है। लिहाजा प्रकरण कार्यकारी समिति के क्षैत्राधिकार का होने से नियमानुसार ब्याज व शास्ति वसूल करते हुए भूखण्ड बहाल किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 23 :: भूखण्ड संख्या 208 सेक्टर–सी विज्ञान नगर आवासीय योजना में ब्याज एवं शास्ती जमा कराने के संबंध में।

भूखण्ड स. 208 सेक्टर सी विज्ञान नगर आवासीय योजना का लॉटरी दिनांक 20.10.2015 को क्षेत्रफल 25 बाई 50 = 116.13 वर्गमीटर का श्रीमति फाउड़ी देवी पत्नि रमेश चन्द्र सांखला को आवंटित हुआ था। प्रार्थी को आवंटन पत्र क्रमांक 317 दिनांक 13.1.2016 को जारी

24.11.17

किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड की बकाया राशि, ब्याज एवं शास्ती जमा करा कर भूखण्ड बहाल करने का निवे दन किया है।

आवंटन पत्र 13.1.2016 को जारी किया जा चुका है। जो एक वर्ष 9 माह देरी हो चुकी है। भूखण्ड स्वतः ही निरस्त हो चुका हैं। नियमन/ बहाल हेतुः–:

90 दिवस से 1 वर्ष की अवधि सभापति (आयुक्त महोदय)
1 वर्ष से 2 वर्ष तक ऑर्थोरटी
2 वर्ष से अधिक की अवधि राज्य सरकार
नियमन/ बहाल में निम्न राशि वसूल करने का प्रावधान है।
6 माह तक 15 प्रतिशत ब्याज व 5 प्रतिशत शास्ति
6 माह से अधिक 15 प्रतिशत व 10 प्रतिशत शास्ति

उक्त भूखण्ड की राशि 1 वर्ष 9 माह हो चुके है तथा 2 वर्ष के भीतर है। अतः भूखण्ड की बकाया राशि, ब्याज एंव शास्ति वसूल किये जाने एंव भूखण्ड बहाल हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति मे प्रकरण रखा जाने हेतु वास्ते निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखण्ड स. 208 सेक्टर सी विज्ञान नगर आवासीय योजना दिनांक 13 जनवरी, 2016 को आवंटन–पत्र जारी किया गया जिसकी राशि उनके द्वारा जमा नहीं करवायी गयी। अब राशि जमा करवाने के लिए अनुरोध किया गया है। लिहाजा प्रकरण कार्यकारी समिति के क्षैत्राधिकार का होने से नियमानुसार ब्याज व शास्ति वसूल करते हुए भूखण्ड बहाल किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 24 :: भूखण्ड संख्या 180 सेक्टर–बी विज्ञान नगर आवासीय योजना में ब्याज एवं शास्ती जमा कराने के संबंध में। श्री अभय रावत पुत्र श्री गोपाल लाल

भूखण्ड स. 180 सेक्टर सी विज्ञान नगर आवासीय योजना का लॉटरी दिनांक 20.10.2015 को क्षेत्रफल 15 बाई 30 = 41.81 वर्गमीटर का श्री अभय रावत पुत्र श्री गोपाल लाल राव को आवंटित हुआ था। प्रार्थी को आवंटन पत्र क्रमांक 1854 दिनांक 07.09.2016 को जारी किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड की बकाया राशि, ब्याज एवं शास्ती जमा करा कर भूखण्ड बहाल करने का निवेदन किया है।

आवंटन पत्र 07.09.2016 को जारी किया जा चुका है। जो एक वर्ष 1 माह देरी हो चुकी है। भूखण्ड स्वतः ही निरस्त हो चुका हैं। नियमन/ बहाल हेतुः–:

90 दिवस से 1 वर्ष की अवधि सभापति (आयुक्त महोदय)
1 वर्ष से 2 वर्ष तक ऑर्थोरटी
2 वर्ष से अधिक की अवधि राज्य सरकार
नियमन/ बहाल मे निम्न राशि वसूल करने का प्रावधान है।
6 माह तक 15 प्रतिशत ब्याज व 5 प्रतिशत शास्ति
6 माह से अधिक 15 प्रतिशत व 10 प्रतिशत शास्ति

उक्त भूखण्ड की राशि 1 वर्ष 1 माह हो चुके है तथा 2 वर्ष के भीतर है। अतः भूखण्ड की बकाया राशि, ब्याज एंव शास्ति वसूल किये जाने एंव भूखण्ड बहाल हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति मे प्रकरण रखा जाने हेतु वास्ते निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

24.1.17

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूखण्ड स. 180 सेक्टर सी विज्ञान नगर आवासीय योजना दिनांक 7 सितम्बर, 2016 को आवंटन–पत्र जारी किया गया जिसकी राशि उनके द्वारा जमा नहीं करवायी गयी। अब राशि जमा करवाने के लिए अनुरोध किया गया है। लिहाजा प्रकरण कार्यकारी समिति के क्षैत्राधिकार का होने से नियमानुसार ब्याज व शास्ति वसूल करते हुए भूखण्ड बहाल किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 25 :: नवगठित ग्राम पंचायत पालडी मांगलिया में अटल सेवा केन्द्र हेतु खसरा नम्बर 117 में 1000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने हेतु।

सरपंच ग्राम पंचायत पालड़ी मांगलिया द्वारा राजस्व ग्राम पालड़ी मांगलिया तहसील जोधपुर के खसरा न.117 किस्म गै.मु. भाकर रकबा 523.16 बीघा मे से ग्राम पचांयत भवन हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रपत्र 'स' ग्राम सेवक/पदेन सचिव एवं विकास अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत किया गया है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम पालड़ी मागंलिया तहसील जोधपुर में स्थित खसरा न.117 की भूमि की किस्म गै. मु भाकर का नामांतरकरण स. 407 दिनांक 29.9.2017 द्वारा वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। राजस्व मानचित्र में प्रस्तावित अनुसार मौके पर भूमि खाली पाई गई है। उक्त भूमि ग्राम पचांयत द्वारा पंचायत भवन हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि का आंवटन चाहा गया है।

आयोजना शाखा रिपोर्ट अनुसार खसरा सं 117 ग्राम पालड़ी मागंलिया तहसील जोधपुर की किस्म गै. मु भाकर रकबा 523.16 बीघा मे से 1000 वर्गमीटर भूमि ग्राम पंचायत भवन व अन्य राजकीय भवन हेतु भूमि की मांग की गयी है। इस खसरे का भू–उपयोग लैण्ड युज प्लान–2023 जोधपुरके अर्तगत परिधि नियंत्रण पट्टी के अन्तर्गत आरक्षित है।

अतः प्रकरण राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व ग्राम पालड़ी मांगलिया के खसरा न. 117 मे से ग्राम पंचायत के प्रस्ताव अनुसार 1000 वर्गमीटर भूमि ग्राम पंचायत पालड़ी मांगलिया के पंचायत भवन हेतु नियमानुसार आवंटन हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में उचित विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नवसृजित ग्राम पंचायत पालडी मांगलिया में अटल सेवा केन्द्र हेतु खसरा संख्या 117 तहसील जोधपुर राजस्व ग्राम पालडी कुल रकबा 523 बीघा में से 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने की स्वीकृति नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक प.3 (55) नविवि/3/2002 दिनांक 25 नवम्बर, 2016 के कम में प्रदान की जाती है। परन्तु चूंकि उक्त खसरान का भू–उपयोग लैण्ड यूज प्लान–2023 के अन्तर्गत परिधि नियंत्रण पट्टी के अन्तर्गत आरक्षित है एवं नगरीय विकास विभाग के आदेश कमांक एफ.10 (35) यूडीएच/ 3/2010 पार्ट दिनांक 20 जुलाई, 2017 के अनुसार के अनुसार व्यापक जनहित के मामले में भू–उपयोग परिवर्तन अनुज्ञेय है जिसके बिन्दु संख्या–1 में केन्द्र/राज्य सरकार के कार्यालय भी आते हैं। लिहाजा उक्त प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन की अनुशंषा करते हुए प्रकरण निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 26 :: ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 6 रकबा 24 बीघा 11 विस्वा की डुप्लीकेट पत्रावली के संधारण के संबंध में।

24.11.17

ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 06 की पत्रावली रेकर्ड में उपलब्ध नहीं हो रही है। सर्च नोट भी जारी किया गया है। इसके बावजूद भी पत्रावली उपलब्ध नहीं हो रही है। रेकर्ड शाखा में उपलब्ध रेकर्ड से फोटोप्रति संकलित कर डूप्लीकेट पत्रावली संघारित की गयी। उक्त खसरें का ले–आउट प्लान दिनांक 16.09.2009 को स्वीकृत किया जाकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–बी का निर्णय दिनांक 09.12.2002 को पारित किया गया। 90–बी के निर्णय की पालना में भूमि तत्कालीन नगर सुधार न्यास वर्तमान जेडीए के नाम दर्ज हो चुकी है। अतः उक्त खसरे की डूप्लीकेट गार्ड पत्रावली का संघारण किया जा रहा है। इस संघारित डूप्लीकेट पत्रावली पर उक्त खसरे के निवासिगणों के भूखण्डों के पटटे जारी किये जाने की कार्यवाही की जानी हैं। इस सघांरित डूप्लीकेट गार्ड पत्रावली के संबंध में किसी को कोई आपत्ति एवं उजर/एतराज हेतु सभी हितबध्द आम–व्यक्तियों/खातेदारों/निवासीगणों को सूचित करने हेतु आम–सूचना का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका समाचार–पत्र में दिनांक 24.06.2017 को किया गया। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति/उजर एतराज प्राप्त नहीं हुआ। अतः खसरा संख्या 06 (इन्दिरा गांधी मजदूर नगर) ग्राम कुडी भगतासनी की उक्त संघारित के आधार पर पटटे जारी करने की कार्यवाही किये जाने के संबंध में डूप्लीकेट गार्ड पत्रावली संघारण हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 6 रकबा 24 बीघा 11 बिस्वा की डुप्लीकेट पत्रावली संधारित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रस्ताव संख्या 27 :: अवार्ड संख्या 448 खसरा नं. 330, ग्राम सांगरिया के भूखण्ड संख्या 182 सेक्टर–एल विवेक विहार के कम में।

अवार्ड संख्या 448 खसरा सं. 330 रकबा 111.11 वर्गगज ग्राम सांगरिया अवार्डी श्रीमती छगनीदेवी पत्नी शंकरलाल की मृत्यु पश्चात् अवार्ड शंकरलाल सैन के नाम जरिये आदेश संख्या 268–271 दिनांक 27.08.2012 के जारी हैं। अवार्डी की अवाप्त भूमि का रकबा 111.11 व.ग. है। जिसके एवज में लॉटरी द्वारा भूखण्ड सं. एल–182 रकबा 88.88 व.ग. का आवंटन किया गया। उक्त भूखण्ड की कीमत राशि हेतु पत्रावली के कार्यालय टिप्पणी के पैरा एन/17 दिनांक 26.12.2013 के अनुसार अवार्डी को अवाप्त भूमि 111.11 व.ग. के एवज में आवंटित भूखण्ड एल–182 क्षेत्रफल 88.88 व.ग. से शेष रही भूमि क्षेत्रफल 22.23/18.58 व.मी. की 6500 रूपये प्रति व.मी. की दर से कीमत राशि का 25 प्रतिशत राशि रूपये 30,192 की राशि का समायोजन करते हूए शेष जमा योग्य राशि रूपये 3,32,118/– का चालान जारी किया जा चुका हैं। जिसकी राशि कार्यालय कोष में जमा नहीं करवाई गई। उक्त भूखण्ड संख्या एल–182 का आवंटन पत्र क्रमांक 119 दिनांक 01.02.2013 को जारी हैं एवं अवार्डी द्वारा भूखण्ड का भौतिक कब्जा संबंधित कनिष्ठ अभियंता से दिनांक 15.02.2013 को प्राप्त कर भूखण्ड की लीज राशि रूपये 3200 एवं साइट प्लान शुल्क 100 रूपये कुल 3300 रूपये जरिये रशीद कमांक 9001/71040 दिनांक 19.02.2013 के कार्यालय कोष में जमा करवाई जा चुकी है। तत्पश्चात् अवार्डी ने अपनी कुल अवाप्त भूमि 111.11 व.ग. के एवज में सम्पूर्ण क्षेत्रफल के भूखण्ड के आंवटन की मांग की है। अतः प्रकरण सम्पूर्ण विवरण सहित निर्णयार्थ आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में रखे जाने हेतु प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक मे बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि अवार्डी श्रीमती छगनी देवी पत्नि श्री शंकरलाल की मृत्यु पश्चात् श्री शंकरलाल सैन को 111 वर्ग गज का

24.11.17

भूखण्ड आवंटन किया जाना था जिसके स्थान पर उन्हें लॉटरी द्वारा भूखण्ड संख्या एल–182 रकबा 88.88 वर्ग गज आवंटित किया गया। इस प्रकार अवार्डी को संपूर्ण क्षैत्रफल के बराबर का भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है। अतः अवार्डी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या एल–182 रकबा 88.88 वर्ग गज का आवंटन निरस्त करते हुए 111.11 वर्ग गज के उपलब्ध भूखण्ड का आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 28 :: उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग एवं उप पंजीयन कार्यालयों हेतु विवेक विहार योजना में भूमि आवंटन बाबत।

उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक वृत जोधपुर द्वारा पत्र कमांक लेखा/बजट/2017/1469 दिनांक 21.07.2017 के द्वारा प्रार्थना पत्र मय आवंटन नीति–2015 के तहत निर्धारित प्रपत्र 'स' में आवेदन पेश कर उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक वृत जोधपुर के कार्यालय भवन, केन्द्रीय रेकोर्ड रूम एवं उपपंजीयक कार्यालयों के भवन निर्माण हेतु विवेक विहार योजना में न्यूनतम 1000 वर्गमीटर अधिकतम 2500 वर्गमीटर प्राथमिकता से भूमि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग राजस्थान सरकार को निः शुल्क आवंटन करने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में, भू–उपयोग अनुज्ञेयता की रिपोर्ट के संबंध में निदेशक (आयोजना) द्वारा अवगत कराया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (जोधपुर रिजन भवन) विनियम, 2013 की अधिसूची–1 के अनुसार संस्थागत भवन में सरकारी एवं अर्द्धसरकारी कार्यालय सम्मिलित है। अतः उपयोग अनुज्ञेय बताया गया है।

कनिष्ठ अभियंता (दक्षिण) की मौका रिपोर्ट अनुसार विवेक विहार योजना के अनुमोदित ले–आउट प्लान के सेक्टर 'बी' में संस्थागत भवन हेतु आरक्षित भूमि मौके पर रिक्त पाई गई एवं किसी प्रकार का निर्माण व अतिक्रमण नही पाया गया।

आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकरण के पत्र कमांक एफ–46/आवंटन(दक्षिण)/ 2017/330 दिनांक 29.09.2017 के द्वारा आवंटन किये जाने वाली भूमि के संबंध में विभाग की वेबसाईट पर न्यूनतम 15 दिवस के लिये दस्तावेज अपलोड किये जा चुके है।

अतः प्रकरण बैठक में उचित निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव अनुसार उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग एवं उप पंजीयन कार्यालय हेतु विवेक विहार योजना में सेक्टर–बी में संस्थागत भवन हेतु आरक्षित भूमि में से नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2016 के द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियां का उपयोग करते हुए 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 29 :: श्री अरविन्द पण्डित पुत्र श्री विष्णु देव को आवंटित भूखण्ड संख्या 736 सेक्टर एच विवेक विहार योजना की राशि 90 दिवस बाद जमा होने के कारण स्वतः निरस्त भूखण्ड को बहाल करने के संबंध में।

भूखण्ड संख्या 736 सेक्टर एच नाप 74.31 विवेक विहार योजना में श्री अरविंद पण्डित पुत्र श्री विष्णु देव को लॉटरी द्वारा आवंटित हुआ। इस कार्यलय द्वारा आवंटन पत्र क्रमांक 2157

24.11.17

दिनांक 27.04.2012 को जारी किया गया। प्रार्थी ने स्वंय की आय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया हैं। आवंटन पत्र में राजपक्षित अधिकारी का परिवार की सकल आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। जो पत्रावली में प्राप्त नहीं हैं। आवंटी द्वारा आवंटन पत्र की शर्त संख्या 3 के अनुसार 90 दिवस में राशि जमा नहीं कराने के कारण भूखण्ड स्वतः निरस्त हो चुका है। आवंटी ने आवंटन पत्र जारी होने के 706 दिन के बाद दिनांक 03.04.2014 को राशी जमा करायी है। प्रार्थी द्वारा लीज डीड की मांग की जा रही है। भूमि निस्पादन नियमों के तहत स्वतः निरस्त भूखण्ड को बहाल/निरस्त करने के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि उक्त प्रकरण में स्वतः निरस्ती आदेश से 2 वर्ष पूर्ण हो चुके है। लिहाजा प्रकरण में नियमितिकरण के लिए राज्य सरकार को भिजवाया जावे। अन्यथा स्थिति में प्राधिकरण द्वारा राशि पुनः प्रार्थी को लौटानी होगी।

प्रस्ताव संख्या 30 :: श्रीमती प्रतिभा सेनी पत्नी श्री सौरभ सैनी को आवंटित भूखण्ड संख्या 722 सेक्टर ओ विवेक विहार याजना की राशि 110 दिवस बाद जमा होने के कारण स्वतः निरस्त भूखण्ड को बहाल करने के संबंध में।

भूखण्ड संख्या 722 सेक्टर ओ नाप 292.64 विवेक विहार योजना में श्रीमती प्रतिभा सैनी पत्नि श्री सौरभ सैनी को लॉटरी द्वारा आवंटित हुआ। इस कार्यलय द्वारा आवंटन पत्र क्रमांक 291 दिनांक 02.04.2012 को जारी किया गया। प्राधिकरण की जावक शाखा द्वारा उक्त पत्र आवंटी को 21.04.2012 द्वारा स्पीड पोस्ट से भेजा गया जिसकी पावती/प्राप्ति रसीद नहीं हैं। प्राधिकरण में राशि 23.07.2012 को जमा हुई हैं। जो आवंटन पत्र जारी होने से 93 दिन होता हैं। आवंटन पत्र की शर्त संख्या 3 के अनुसार आवंटन पत्र जारी होने के 90 दिवस में राशि जमा नहीं कराने पर भूखण्ड का आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा। आवंटन पत्र जारी होने के 90 दिवस के बाद राशि जमा होने के कारण भूखण्ड स्वतः निरस्त हो चुका हैं। प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा राशि दिनांक 23 जुलाई, 2012 को जमा करवायी गयी थी जो कि आवंटन पत्र जारी होने के 93 दिन पश्चात् जारी होनी थी। चूंकि प्रकरण अब तक नियमन नहीं हुआ है एवं आवंटन आदेश जारी करने की तिथि से 5 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है लिहाजा स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।

प्रस्ताव संख्या 31 :: प्राधिकरण के मकानों का किराया निर्धारण करने बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर का गठन होने के पश्चात प्राधिकरण का विस्तृत एरिया होने पर एवं नवीन उच्च पद स्वीकृत होने के पश्चात नगरीय विकास विभाग एवं अन्य राजकीय विभाग से अधिकारियों व कर्मचारियों का पदस्थापन जोधपुर में किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा मांग अनुसार रहवासीय प्रयोजनार्थ भवन आवंटित किये जाते है। जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर में भवन आवंटन के संबंध में नीति का निर्धारण नही है। ऐसी स्थिति में अन्य विभागों में कार्यरत अधिकारियों को प्राधिकरण के भवन आवंटन होने के प चात मकान किराया की राशि वसूली करने पर दरो के संबंध में असंमजस्य की स्थिति बनी रहती है।

24.11.17

प्राधिकरण के आवासों का अन्य विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवंटन होने एवं प्राधिकरण से स्थानान्तरित, किन्तु प्राधिकरण आवासों में निवासरत कार्मिकों के मकानों के किराया निर्धारण के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण का गठन होने के पश्चात् जोधपुर शहर में पदस्थापित होने पर अधिकारियों को तथा विशेष परिस्थितियों में भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्राधिकरण के आवास रिक्त होने पर आवंटित किये जाते रहे हैं। इन अधिकारियों का यदि स्थानान्तरण जोधपुर मुख्यालय पर ही अन्य विभागों में भी हो जाता है तब भी इन अधिकारियों द्वाराउक्त आवासों में निवास किया जाता है जिसको लेकर कई बार मकान किराया राशि के संबंध में विषय उत्पन्न होता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण में पदस्थापित अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग के आवासों में भी रह रहे हैं एवं वो भी राज्य सरकार के मानक अनुसार ही किराये का भुगतान करते हैं। अतः ऐसी परिस्थिति में यह उचित समझा जाता है कि किसी भी अधिकारी को प्राधिकरण का आवास आवंटित है और वह जोधपुर मुख्यालय पर ही किसी अन्य विभाग में पदस्थापित हो जाता है तो उस परिस्थिति में भी उससे वही मकान किराया वसूल किया जावे जो राजकीय नियमों में राजकीय आवासों के लिए देय होता है। मुख्यालय से बाहर स्थानान्तरण होने पर राज्य सरकार के नियमानुसार भुगतान प्राप्त किया जावे। क्योंकि उक्त प्रकरण नीतिगत रूप से भी संबंधित है इसलिए इस मामले को अनुमोदन के लिए प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 32 :: श्री अरविंद सांखला पुत्र श्री भंवरलाल सांखला को आवंटित भूखण्ड संख्या 101 सेक्टर डी विवेक विहार योजना की राशि 91 दिवस बाद जमा होने के कारण स्वतः निरस्त भूखण्ड को बहाल करने के संबंध में।

भूखण्ड संख्या 101 सेक्टर डी नाप 195.09 विवेक विहार योजना में श्री अरविंद सांखला पुत्र श्री भंवरलाल सांखला को लॉटरी द्वारा आवंटित हुआ। इस कार्यलय द्वारा आवंटन पत्र क्रमांक 911 दिनांक 09.04.2012 को जारी किया गया। आवंटी द्वारा आवंटन पत्र की शर्त संख्या 3 के अनुसार 90 दिवस में राशि जमा नहीं कराने के कारण भूखण्ड स्वतः निरस्त हो चुका है। आवंटी ने आवंटन पत्र जारी होने के 91 दिन के बाद दिनांक 09.07.2012 को राशी जमा करायी है। आवंटी को प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड का कब्जा भी दिया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा लीज डीड की मांग की जा रही है। भूमि निस्पादन नियमों के तहत स्वतः निरस्त भूखण्ड को बहाल/निरस्त करने के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि श्री अरविन्द सांखला पुत्र श्री भँवरलाल को भूखण्ड संख्या 101 सेक्टर–डी, विवेक विहार योजना की राशि 91 दिवस बाद जमा करवायी थी जबकि 90 दिन पश्चात् 2 वर्ष की अवधि तक कार्यकारी समिति को भूखण्ड को बहाल करने के लिए सक्षम है। यद्यपि आवंटी द्वारा राशि दिनांक 9 जुलाई, 2012 को जमा करायी जा चुकी है परन्तु प्रकरण भूखण्ड बहाल हेतु आयुक्त महोदय तथा कार्यकारी समिति के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत नहीं हुआ है एवं आवंटी को भूखण्ड का कब्जा भी दिया जा चुका है लिहाजा प्रकरण भूखण्ड बहाल के लिए राज्य सरकार को भिजवाया जावे।

24.11.17

प्रस्ताव संख्या 33 :: ग्राम पंचायत कांकाणी के खसरा संख्या 797 में पंचायत भवन के लिए भूमि आवंटन करने के संबंध में।

आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायत कांकाणी के खसरा संख्या 797 किस्म बारानी–चतुर्थ रकबा 5.19 बीघा में से 5 बीघा भूमि पंचायत भवन प्रयोजनार्थ का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

प्राधिकरण बैठक दिनांक 15 मई 2017 के प्रस्ताव संख्या 18 के बिन्दु संख्या 26 के अंतर्गत प्रचलित मास्टर प्लान के 72 गांव के बाहर स्थित होने पर नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक प.3(73) नविवि/3/2013 पार्ट दिनांक 28.10.2016, नगरीय विकास विभाग के परिपत्र कमांक प.12 (103)/नविवि /2004 पार्ट दिनांक 08.02.2017 एवं नगरीय विकास विभाग द्वारा सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को प्रेशित पत्र कमांक प.1(20) नविवि/जोधपुर/2017 दिनांक 11.03.2017 की पालना में ऐसे प्रकरण जिनमें प्रस्तावित भू–उपयोग प्रारूप मास्टर प्लान–2031 में दर्शाये गये भू–उपयोग के अनुरूप होने एवं प्रारूप मास्टर प्लान के प्रस्तावित उपयोग में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई हो के प्रकरणों में 1000 वर्गमीटर भूमि की स्वीकृति का निर्णय लिया गया एवं ऐसे प्रकरण जिनमें मास्टर प्लान 2031 के प्रस्तावित भू–उपयोग से भिन्न होने की स्थिति है, के प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 797 जोधपुर मास्टर प्लान–2023 में भू–उपयोग अरबन एरिया से बाहर ग्रामीण में स्थित है, अर्थात भू–उपयोग निर्धारित नही है। आयोजना भाखा की रिपोर्ट के अनुसार मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 (प्रारूप) जोधपुर रिजन में प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग mixed landuse है। उक्त खसरा विशेष पर कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है। पंचायत भवन अनुज्ञेयता पर विचार किया जा सकता है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 दिनांक 25.11.2016 के द्वारा राजकीय विभागों को उनके कार्यालय हेतु भूमि आवंटन के संबंध में 1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन विकास प्राधिकरणों को शक्तियॉ प्रत्यायोजित की गई है।

प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 797 किस्म बारानी–चतुर्थ रकबा 5–19 बीघा में से 1000 वर्ग मीटर भूमि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2016 के कम में निःशुल्क आवंटन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 34 :: नवसृजित ग्राम पंचायत तनावडा के खसरा नम्बर 157 में पंचायत भवन के लिए भूमि आवंटन करने के संबंध में।

आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अंतर्गत नवसृजित ग्राम पंचायत तनावड़ा के खसरा संख्या 157 किस्म गै.मु. गोचर रकबा 15.16 बीघा में से 5 बीघा भूमि पंचायत भवन प्रयोजनार्थ का प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 19 अक्टुम्बर 2015 के प्रस्ताव संख्या 5(16) के अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू–उपयोग परिधि नियंत्रण पट्टी में आरक्षित होने के कारण कार्यकारी समिति द्वारा निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

24.11.17

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 दिनांक 25.11.2016 के द्वारा राजकीय विभागों को उनके कार्यालय हेतु भूमि आवंटन के संबंध में 1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन विकास प्राधिकरणों को शक्तियॉ प्रत्यायोजित की गई। संयुक्त सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग जयपुर के पत्र कमांक एफ.10(35)/यूडीएच/3/2010 पार्ट जयपुर दिनांक 20.07.2017 के कम में प्रकरण भू–उपयोग परिवर्तन एवं उसके पश्चात ग्राम पंचायत भवन हेतु प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 157 किस्म गैर मुमकिन गौचर रकबा 15–16 बीघा में से 1000 वर्ग मीटर भूमि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 25 नवम्बर, 2016 के कम मे निःशुल्क आवंटन की जावे। चूंकि उक्त खसरा का भू–उपयोग परिधि नियंत्रण पट्टी में आरक्षित है एवं नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 20 जुलाई, 2017 के बिन्दु संख्या–1 में व्यापक जनहित के मामले में जिसके बिन्दु संख्या–1 पर राज्य सरकार के कार्यालय भी सम्मिलित है, का भू–उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है। अतः भू–उपयोग परिवर्तन की अनुशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को वास्ते निःशुल्क आवंटन की सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 35 :: बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में दिन–रात किकेट प्रतियोगिता हेतु नियम एवं शर्तें।

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की बैठक दिनांक 15 मई 2017 के प्रस्ताव संख्या 06 में बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम के आवंटन नियम/विनियम बाबत् प्रस्ताव के अंतर्गत रात्रिकालीन/दिन–रात किकेट प्रतियोगिता आयोजित करने पर आवेदक से रू. 50,000/– प्रतिघंटा की दर से किरायें की राशि निर्धारित की गई थी। परन्तु प्रतिदिन न्यूनतम कितने घंटे तक फ्लड लाईटों का उपयोग/आवंटित की जायेगी एवं धरोहर राशि का निर्धारण से संबंधित का निर्णय नही लिया गया था।

अतः प्रकरण बैठक में उचित निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि बरकतुल्लाह खां स्टेडियम में दिन–रात किकेट प्रतियोगिता हेतु नियम दिनांक 15 मई, 2017 को प्राधिकरण की बैठक के प्रस्ताव संख्या–6 में बनाये थे। उन नियमों को निम्नलिखित अनुसार संशोधित किया जाता है:–

1– दिनरात किकेट मैच प्रतियोगिता के लिए एक दिन में कम से कम 4 घण्टे फलड लाईट का उपयोग आवश्यक होगा अन्यथा स्थिति में भी शुल्क का निर्धारण 4 घण्टे के आधार पर किया जावेगा।

2– दिनरात किकेट मैच के लिए न्यूनतम धरोहर राशि 50,000/– रूपये करने का निर्णय लिया।

उक्त प्रावधाव तत्काल प्रभाव से लागू होंगे एवं आगामी प्राधिकरण की बैठक में इसका अनुमोदन करवाने हेतु प्रकरण आगामी प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

24.11.17

प्रस्ताव संख्या 36 :: ग्राम पंचायत कांकाणी में रीका का औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन करने के संबंध में।

वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक रीको लिमिटेड जोधपुर के पत्र कमांक 7769 दिनांक 31.03.2016 के द्वारा आवंटन नीति–2015 में अंकित प्रावधानों के अनुरूप प्रस्ताव (प्रपत्र 'स') में आवेदन पेश कर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रमुख बैच दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशों की अनुपालना में जोधपुर पाली रोड पर प्रस्तावित नये औद्योगिक क्षेत्र कांकाणी की स्थापना हेतु ग्राम कांकाणी, खाराबेरा पुरोहितान एवं निम्बला की चारागाह भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ रीको के पक्ष में आवंटन करने का अनुरोध किया गया।

जिसमें ग्राम कांकाणी के खसरा नं. 925 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 926/2 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 997/1 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 998/1 रकबा 125 बीघा 7 बिस्वा, ग्राम खाराबेरा पुरोहितान् के खसरा संख्या 409 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 371 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 372 रकबा 13 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 441 रकबा 11 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 441/2 रकबा 5 बीघा, खसरा नं. 442 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 442/2 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 440 रकबा 56 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा संख्या 498 रकबा 50 बीघा एवं ग्राम निम्बला के खसरा संख्या 81–मीन रकबा 185 बीघा कुल 14 खसरान् की 496 बीघा 13 बिस्वा भूमि जो जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है तथा जिसकी किस्म गै.मु. गोचर, ओरण, बारानी है, को औद्योगिक प्रयोजनार्थ रीको को आवंटित करने का अनुरोध किया गया।

उक्त आवंटन का प्रस्ताव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की बैठक दिनांक 09 सितम्बर 2016 में रखा गया। जिसके प्रस्ताव संख्या 08 में ग्राम खाराबेरा पुरोहितान् के खसरा संख्या 441/2 रकबा 5 बीघा भूमि को छोड़ते हुए शेष भूमि प्रस्तावानुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ रीको को आवंटित करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण की पत्र कमांक 662 दिनांक 26.09.2016 के द्वारा ग्राम कांकाणी में प्रस्तावित क्षेत्रफल 152 बीघा 09 बिस्वा, ग्राम खाराबेरा पुरोहितान् 154 बीघा 02 बिस्वा, ग्राम निम्बला 185 बीघा कुल क्षेत्रफल 491.11 बीघा भूमि निम्नानुसार कीमतन राशि पर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव संयुक्त भाासन सचिव–तृतीय नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को प्रेषित किया गया।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के पत्र कमांक प.1(70)नविवि/जोधपुर/2016 जयपुर दिनांक 18.01.2017 के द्वारा निर्देश दिये गये कि रीको को उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि के बदले उस क्षेत्र में प्रचलित कृषि भूमि की डीएलसी दर या आवासीय आरक्षित दर में से जो भी कम हो वह ली जावें। राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नही है। अतः विभागीय पत्र दिनांक 16.04.2015 के अनुसार रीको को भूमि उपलब्ध कराई जावें।

प्रश्नगत प्रकरण में आयोजना शाखा से प्रस्तावित भूमि की किस्म गोचर, ओरण होने एवं भूमि अरबन एरिया से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने पर अनुज्ञेयता के संबंध में रिपोर्ट चाही जाने पर आयोजना शाखा द्वारा नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 08.02.2017 के बिन्दु संख्या 1 में दिये गये निर्देशों का हवाला देते हुए अवगत कराया कि वर्तमान में मास्टर प्लान 2023 के अनुसार ही कार्यवाही की जानी है एवं प्रश्नगत भूमि का जोधपुर मास्टर प्लान (प्रारूप)–2031 अनुसार भू–उपयोग आंशिक वृक्षारोपण पट्टी, आंशिक यू–3 क्षेत्र, आंशिक औद्योगिक व शेष भाग लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित है खसरा विशेष पर कोई टिप्पणी प्राप्त नही हुई है।

24.11.17

रीको द्वारा पेश किये गये खसरावार सूची का प्रस्तावित मास्टर प्लान–2031 (प्रारूप) में भू–उपयोग/अनुज्ञेता की रिपोर्ट निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	आयोजना शाखा की रिपोर्ट	आपत्ति
1.	खाराबेरा पुरोहितान्	498, 440, 441, 442,	प्रस्तावित खसरा लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित है एवं जिस पर वृक्षारोपण पट्टी का भी प्रावधान है।	कोई आपत्ति प्राप्त नही है।
	कांकाणी	997		
2.	खाराबेरा पुरोहितान्	371, 372, 409	क्षेत्रफल 30.08 बीघा औद्योगिक प्रयोजनार्थ प्रस्तावित/आरक्षित है।	
3.	कांकाणी	998	प्रस्तावित क्षेत्र का आंशिक भाग नदी, वृक्षारोपण पट्टी एवं यू–3 क्षेत्र में प्रस्तावित/आरक्षित है।	
		925, 926	आंशिक भाग नदी प्रवाह क्षेत्र, वृक्षारोपण पट्टी एवं सड़क की तरफ 30–30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी के पश्चात यू–3 क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित/आरक्षित है।	
4.	निम्बला	81	यू–3 क्षेत्र एवं सड़क की तरफ 30–30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी हेतु प्रस्तावित/आरक्षित है।	

प्रस्तावित मास्टर प्लान–2031 (प्रारूप) में प्रश्नगत प्रकरण में ग्राम खाराबेरा के खसरा संख्या 371, 372, 409 कुल क्षेत्रफल 30.08 बीघा ही औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 263 दिनांक 25.08.2017 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में सचिव, निदेशक आयोजना, उपायुक्त (दक्षिण व पूर्व), तहसीलदार (दक्षिण व पूर्व), उपनगर नियोजक की संयुक्त बैठक आयुक्त महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 28.08.2017 को आहुत की गई।

बैठक में चर्चा के दौरान तहसीलदार (दक्षिण) एवं रीको के अधिकारियों ने अवगत कराया कि प्रस्तावित भूमि लूणी नदी एवं उसके प्रवाह क्षेत्र से काफी दूरी पर स्थित है। प्रस्तावित भूमि लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र व वृक्षारोपण पट्टी में होना संदिग्ध प्रतीत होता हैं। राजस्व रेकोर्ड के अनुसार भी भूमि की किस्म नदी एवं उसके प्रवाह क्षेत्र में अंकित नही है। अतः बैठक में सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया कि निदे ाक आयोजना भू–उपयोग की पुनः सूक्ष्मता से जांच कर रिपोर्ट प्रेशित करेंगें।

निदेशक आयोजना एवं पटवारी (दक्षिण) की रिपोर्ट अनुसार ग्राम कांकाणी में से निकलने/प्रवाह होने वाली लूणी नदी के खसरा संख्या 874 एवं 876 है जो कि प्रस्तावित भूमि से लगभग 2000 फीट राजस्व रेकोर्ड अनुसार दूरी पर स्थित है। निदेशक आयोजना द्वारा भी प्रश्नगत भूमि लूणी नदी के प्रवाह से 2000 फीट दूर है एवं मास्टर प्लान में उक्त क्षेत्र को लूणी

24.11.17

नदी के प्रवाह में सहवन से अंकित प्रतीत होना बताया गया तथा प्रश्नगत भूमि को रीको को आवंटन पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है की टिप्पण अंकित है।

आयुक्त महोदय से अनुमोदन होने के पश्चात I.R.A. की रिपोर्ट अनुसार आवासीय आरक्षित दर एवं कृषि भूमि की डीएलसी दर का तुलनात्मक विवरण करने पर कृषि भूमि की डीएलसी दर कम होने पर रीको को प्राधिकरण के आवंटन पत्र राशि 54,83,94,380/– का जारी किया गया।

अतः प्रकरण भू–उपयोग संशोधन करने के संबंध में समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि निदेशक–आयोजना एवं पटवारी–दक्षिण की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम कांकाणी में से निकलने वाली लूणी नदी के प्रवाह क्षैत्र खसरा संख्या 874 एवं 876 में प्रस्तावित भूमि लगभग 2000 फीट दूरी पर स्थित है एवं लूणी नदी के प्रवाह क्षैत्र में नहीं आती है। मास्टर प्लान में सहवन से लूणी नदी के प्रवाह क्षैत्र में अंकन हुआ है। अतः ग्राम पुरोहितान के खसरा संख्या 498, 440, 441, 442 ग्राम डोली के खसरा संख्या 997, ग्राम खाराबेरा के खसरा संख्या 998, ग्राम कांकाणी के खसरा संख्या 925, 926 एवं ग्राम निम्बला के खसरा संख्या 81 को औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 में लिये जाने का निर्णय लिया गया। ड्राफ्ट मास्टर प्लान को अन्तिम रूप देते हुए उक्त खसरा नम्बरान की भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग प्रदर्शित किया जावे। रीको को भूमि आवंटन का अनुमोदन किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 37 :: Survey and Preparation of New Zonal Plan and Sector Plan as per Jodhur Development Authority Act 2009 in Jodhpur. Regarding A&F

1. कार्यकारी समिति की पूर्व बैठक दिनांक 08.09.2017 के प्रस्ताव संख्या 54 पर वाप्कोस कम्पनी को अविलम्ब लेटर ऑफ इनविटेशन जारी किये जाने एवं नियमानुसार बजट एप्रोप्रिएशन के वास्ते तथा प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति के लिये प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावें का निर्णय लिया गया। उक्त के क्रम में वाप्कोस कम्पनी को दिनांक 27.09.2017 को लैटर ऑफ इनविटेशन जारी किया गया। सेक्टर प्लान/जोनल प्लान बनाने हेतु कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में दिनांक 02.11.2017 को प्रशासनिक व वित्तिय स्वीकृति जारी की गई तथा दिनांक 10.11.2017 को वाप्कोस कम्पनी को वर्क ऑर्डर जारी किया गया। उक्त के अनुमोदन हेतु निर्णयार्थ प्रस्तुत है।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक के निर्देशन में मास्टर प्लान प्रकोष्ठ है जिसमें एक वरिष्ठ नगर नियोजक, दो उप नगर नियोजक, चार सहायक नगर नियोजक व चार प्रारूपकार है। चुंकि मास्टर प्लान का कार्य अतिमहत्वपूर्ण व नगर नियोजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है जिसमें आगामी समय में जोनल प्लान व सेक्टर प्लान भी तैयार किये जाने है। अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में भी एक मास्टर प्लान का प्रकोष्ठ गठित किया जाना प्रस्तावित है जिसमें एक वरिष्ठ नगर नियोजक, दो उप नगर नियोजक, दो सहायक नगर नियोजक व दो प्रारूपकार का पदस्थापन किया जाना है। चुंकि मास्टर प्लान 2031 जी.आई.एस. तकनीक पर बना हुआ है, अतः एक जीआईएस एक्सपर्ट का पदस्थापन भी आवश्यक है। इस संबंध में नगरीय विकास विभाग द्वारा गठित द्वि–सदस्य समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया। इस संबंध में राज्य सरकार को प्ररताव भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

24.11.17

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि:–

1– कार्यकारी समिति की पूर्व बैठक दिनांक 8 सितम्बर, 2017 के प्रस्ताव संख्या 54 के अनुसार वाप्कोस कम्पनी को सर्वे और जोनल तथा सेक्टर प्लान तैयार करने के लिए जो प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 2 नवम्बर, 2017 को जारी की गयी एवं जो कार्यादेश दिनांक 10 नवम्बर, 2017 को जारी किया गया है, उसका सर्व सम्मति से अनुमोदन किया जावे।

2– आयोजना शाखा द्वारा मास्टर प्लान प्रकोष्ठ बनाने के लिए प्राधिकरण में एक वरिष्ठ नगर नियोजक, दो उप नगर नियोजक, दो सहायक नगर नियोजक व दो प्रारूपकार का पदस्थापन्न किया जाना है। चूंकि यह पद वर्तमान में स्वीकृत नहीं है इसलिए इसका प्रस्ताव नगरीय विकास विभाग को भिजवाने का अनुमोदन किया गया है एवं पद सृजन का प्रकरण नीतिगत निर्णय है इसलिए इन प्रस्ताव को प्राधिकरण की आगामी बैठक में अनुमोदन करवाने के पश्चात् राज्य सरकार को प्रकरण प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 38 :: 12वीं रोड चौराहा से डी.पी.एस. चौराहा तक सडक सुदृढीकरण चौडाईकरण, ड्रैनेज एवं सौन्दर्यकरण का कार्य रूपये 1350.00 लाख

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि 12वीं रोड़ चौराहा से डी.पी.एस. चौराहा तक सड़क एन.एच. 25 है। यह सड़क सामरीक पर्यटन एवं औद्योगिक दृष्टी से महत्वपूर्ण है। यह सड़क जोधपुर संभागीय मुख्यालय को बाडमेर एवं बालोतरा (पचपदरा) से जोड़ती है जिस पर राज्य सरकार द्वारा रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है। यह सड़क 12वीं रोड़ चौराहे से पाल बालाजी होते हुए डीपीएस चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ के आबादी क्षेत्र के रहवासियों के आवागमन हेतु मुख्य सड़क है। उक्त सड़क की लम्बाई 6.8 किमी. है जिसमें 1.5 मीटर चौड़ा डिवाईडर (मिडियन) के दोनों तरफ 10.5 मीटर (3 लेन) चौड़ी है। सड़क विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त होने के कारण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण किया जाना है। इसी क्रम में सड़क के दोनों तरफ पूर्व में निर्मित क्षतिग्रस्त नाला मरम्मत, नवीन नाला निर्माण एवं कवरिंग कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है ताकि वर्षा के समय सड़क पर इकट्ठे होने वाले पानी की सुनियोजित निकासी की जा सके। उपरोक्त सड़क निर्माण कार्य में सौंर्न्दयीकरण हेतु डिवाईडर/मिडियन में जोधपुर स्टोन के प्लान्टर लगाये जाने का कार्य, पानी भराव क्षेत्र में एवं मुख्य डीपीएस चौराहे पर सी.सी. पेव्ड ब्लॉक लगाने का कार्य भी करवाया जाना है।

12वीं रोड़ चौराहा से डी.पी.एस. चौराहा तक सड़क सुदृढ़ीकरण, चौड़ाईकरण, ड्रैनेज एवं सौंर्न्दयीकरण का कार्य हेतु रूपये 13.50 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के क्षेत्राधिकार में होने के कारण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में अभी पब्लिक वर्क्स कमेटी के द्वारा नहीं किया गया है लिहाजा बाद परीक्षण यदि प्रकरण उपयुक्त पाया जाता है तो आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 39 :: डी.पी.एस. चौराहा से बोरानाडा, चित्राधर्मधाम तक सडक सुदृढीकरण, चौडाईकरण, ड्रैनेज एवं सौन्दर्यकरण का कार्य रूपये 1000.00 लाख।

24.11.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि डी.पी.एस. चौराहा से बोरानाड़ा चित्रा धर्मधाम तक सड़क एन.एच. 25 है। यह सड़क सामरीक पर्यटन एवं औद्योगिक दृष्टी से महत्वपूर्ण है। यह सड़क जोधपुर संभागीय मुख्यालय को बाडमेर एवं बालोतरा (पचपदरा) से जोड़ती है जिस पर राज्य सरकार द्वारा रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है। यह सड़क ग्राम पाल, दोनों तरफ विकसित कॉलोनीयों, रिको औद्योगिक क्षेत्र में आवागमन हेतु मुख्य सड़क है। उक्त सड़क की लम्बाई 4.0 किमी. है जिसमें 1.5 मीटर चौड़ा डिवाईडर (मिडियन) के दोनों तरफ 10.5 मीटर (3 लेन) चौड़ी है। सड़क विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त होने के कारण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण किया जाना है। इसी क्रम में सड़क के दोनों तरफ पूर्व में निर्मित क्षतिग्रस्त नाला मरम्मत, नवीन नाला निर्माण एवं कवरिंग कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है ताकि वर्षा के समय सड़क पर इकट्ठे होने वाले पानी की सुनियोजित निकासी की जा सके। उपरोक्त सड़क निर्माण कार्य में सौन्दर्यीकरण हेतु डिवाईडर/मिडियन में जोधपुर स्टोन के प्लान्टर लगाये जाने का कार्य एवं पानी भराव क्षेत्र में सी.सी. पेव्ड ब्लॉक लगाने का कार्य भी करवाया जाना है।

डी.पी.एस. चौराहा से बोरानाड़ा चित्रा धर्मधाम तक सड़क सुदृढ़ीकरण, चौड़ाईकरण, ड्रैनेज एवं सौन्द्रयीकरण का कार्य हेतु रूपये 10.00 करोड़ की प्र ासनिक एवं वितिय स्वीकृति प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के क्षेत्राधिकार में होने के कारण प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में अभी पब्लिक वर्क्स कमेटी के द्वारा नहीं किया गया है लिहाजा बाद परीक्षण यदि प्रकरण उपयुक्त पाया जाता है तो आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 40 :: **Agenda Note for sanction of Extra- Excess items along with Revised Administrative & Financial Sanction for the work of Providing, Laying, Jointing, Testing & Commissioning of R.C.C. Sewer system & all accessories works, UPVC pipe including Manholes, Property Connection & Restoration of Roads etc. in E-3 Zone (Pabupura & Basni Benda)**

Agenda Note for the work under subject has been submitted for approval. Following are the salient features related to work.

Original A & F of the work	Rs. 2300.00 Lacs vide No. JDA/A&F/TA to DE/2012-13/299-302 dated 31-05-2012, concurrence of EC meeting held on dated 16-06-2011.
Original TS of the work	Rs. 2296.00 Lacs vide no. DE(N)/5/12-13 dated 31-05-2012.
Revised A & F of the work	Rs. 2548.25.00 Lacs at Agenda no. 6(8) in EC meeting dated 30/07/2014 & 31/07/2014.
Work order Amount	Rs. 2938.94 Lacs
Agreement No.	F38(6)/2011-12
Likely Excess Amount (Statement Enclosed)	**RS. 103.29 Lacs (Approved by DE as per SOP, Bill file Page no. 588)**

24.11.17

Likely Extra Amount (Statement Enclosed)	**Rs. 466.29 Lacs** a) Extra Item available in BSR rates but not included in sanctioned estimate/order - Rs. 296.71 Lacs **(Approved by DE as per SOP, Bill File Page no. 583-585)** b) Extra Item not available in and not included in sanctioned estimate/order (H Schedule) - Rs. 169.59 Lacs **(Approval required from EC as per SOP, Bill file Page No. 586-587)**
Likely Saving in contract BOQ	**Rs. 1077.60 Lacs**
Total amount envisaged for completion of work	Rs. 2430.91 Lacs

Reasons for Variation:

1. In accordance to modification in design/ drawing considering optimum requirement at site, items of less depths exceeded which includes 250/300 mm dia. pipes and shallow depth manholes.
2. Water level in the area being at shallow depth, related items exceeded.
3. Requisite item of manholes for 1200 and 1600 mm dia sewer not included in schedule of the tender.
4. Item of laying 1200 mm dia sewer by trenchless technology with MS casing pipe on NH 112 (Ratanada Circle to Air Force road) near busy ratanada circle not included in schedule of tender.
5. Item of laying 1600 mm dia RCC sewer by trenchless technology for crossing of running nallah near Vinaykiya not included in schedule of tender.
6. Encounter of Jagia at site for which H- schedule rate already approved by Director Engineering.
7. Item of precast manholes (costing less as compared to Masonry manholes) included for smooth execution of work in highly collapsible strata (like Pabupura, Sikargarh, etc.) with analysis approved by Director Engineering.
8. Property chambers of smaller size instead of schedule item of larger chambers (not required at site and also leading to over all saving) had been analyzed and rates approved by Director Engineering.

As mentioned, the revised A & F for the work is Rs. 2548.25 Lacs and Work order amount is Rs. 2938.94 Lacs. Completion amount for the work is envisaged to be Rs. 2430.91 Lacs which is within earlier accorded A & F sanction. Excess item and Extra item (BOQ items) are already approved at competent level. Extra item (Non BOQ/ H-schedule) amounting to Rs. 64.00 Lacs was already approved in EC meeting dated 30/07/2014 & 31/07/2014 at Agenda no. 6(8). The item is now envisaged to be in tune of Rs. 169.59 Lacs. Hence is to be approved by Empowered committee. Also, in above mentioned EC erroneously extra item approval amount was typed in excess item and vice versa. Rectification of same is also requested in this EC.

As per recent directions, comparative analysis of road restoration work was done and it was concluded that road restoration work is cheaper if got executed through latest BSR 2016 vide separate tenders under respective zones (Details available in bill file page no. 419 to 429). Also, as the road in the sewered areas are partly Bituminous, partly WBM & partly earthen. As such entire area can be covered in case work is being executed through zone level.

It is therefore suitable to restrict B T restoration work under ongoing sewer packages and with separate sanctions the work may be got executed under new tenders.

Final likely amount of work has been envisaged in accordance to above.

The total case is submitted for perusal and according approval.

24.11.17

Decision

Correction in typing error of extra item and excess item approval in EC meeting dated 30/07/2014 & 31/07/2014 at Agenda no. 6(8) is agreed.

S. No.	Particular	Amount (Rs. In Lacs)	Competency as per applicable SOP	Approval Accorded/ Proposed by	Decision of EC
1	Excess Item	103.29	Executive Engineer, as per clause 21 of old SOP	Director Engineering	Not Required
2	Extra Item available in BSR rates but not included in sanctioned estimate/order	296.71	Director Engineering, as per clause 22 of old SOP	Director Engineering	Not Required
3	Extra Item not available in BSR and not included in sanctioned estimate/order	169.59	EC, as per clause 23 of old SOP	Proposed to be approved by agenda item in meeting dated 15-11-2017. {Amount includes earlier approval of extra item of Rs. 567.63 Lacs including H-schedule item of Rs. 64.00 Lacs in EC meeting dated 30/07/2014 & 31/07/2014 at Agenda no. 6(8)}	Approved

Total amount of extra + excess item comes out to Rs. 569.58 Lacs, which is 19.3% of Work order amount. As such the additional amount for the work is well within 50% limit of work order amount as per RTPP act clause 73. Clause 12 & 12A of the contract agreement supports individual extra/ excess of items related to foundation works and clearly includes sewer work in that category.

As further proposed, BT restoration work under the package is restricted from now on and only WBM restoration shall be done as per site requirement so as to ensure immediate relief. The balance BT restoration shall be done under separate work orders after completion of approval procedure under respective zones as per details provided in bill file page no. 634 to 643.

Up to date billing amount under this package as informed is Rs. 1849.78 Lacs. The work execution amount is restricted up to available A & F sanction. No approval shall be accorded beyond available A & F.

24-11-17

प्रस्ताव संख्या 41 :: **Agenda Note for Revised Administrative & Financial Sanction along with sanction of tentative Deviation for the Work of Providing, Laying, Jointing, Testing & ommissioning for sewerage system & all ancillary works, PVC-U pipes including Manholes, Property Connection & Restoration of Roads etc. In South East zone, Jodhpur.**

Agenda Note for the work under subject has been submitted for concurrence. Following are the salient features related to work.

Original A & F of the work	Rs. 4981.00 Lacs, Job No. 1719/2012-13/JDA/PHE/Non-Scheme, DE letter No. JDA/A&F/TA to DE/2012-13/1746-49 dated28/02/2013, confirmation in EC meeting dated 19-03-2013 at agenda no. 9.
Original TS of the work	Rs. 4965.50 Lacs vide no. DE(PHE)15/13-14 dated 12-08-2013.
Work order Amount	Rs. 5391.77 Lacs
Agreement No.	F38(4)/2013-14/EE ZONE-PHE
Likely Excess Amount (Statement Enclosed)	**Rs. 2291.29 Lacs (Approved by JDC Sir, bill file page no. 520-524)**
Likely Extra Amount (Statement Enclosed)	**Rs. 481.09 Lacs (Approved by DE Sir, bill file page no. 525-526)**
Likely Saving in contract BOQ	**Rs. 1959.32 Lacs**
Total amount envisaged for completion of work at safe stage	**Rs. 5590.00 Lacs**

Reasons for Variation:

The item wise are available in attached statements of excess and extra. The major reasons in this regard are as below:

1. There had been modification in alignment of trunk/ outfall sewer as per feasible and most suitable alignment. The drawing/ designs had also been accordingly modified and approved. This has resulted in variation of pipe quantity and manholes in accordance to finalized drawing/ design. The variation is both in terms of quantity and depth as some item got exceeded but there is corresponding saving in other items.
2. As per actual strata encountered at site and in accordance to finalized drawing/ design, there had been variation in quantity of earth work. Also, type of material with suitability of the strata had been adopted as per BOQ leading to variation
3. During the course of preparation of DPR & start of execution work, the increase of habitation in the scope area.
4. Inclusion of higher size manholes for trunk sewer, not available in BOQ of the work. Corresponding saving in in manholes of specific depths as per finalized drawing and alignment.
5. Variation in quantity of road dismantling and restoration in accordance to increased habitation and increase in road network.
6. Variation in BOQ quantity of trenchless work & inclusion of new trenchless work for crossing of National Highways, not included in BOQ of the work. Thus in accordance to available

24.11.17

ground conditions variations in form of extra, excess and saving has been envisaged in the item trenchless work has

As mentioned, the original A & F for the work is Rs. 4981.00 Lacs and Work order amount is Rs. 5391.77 Lacs. Excess item and Extra item (BOQ items) are already approved at competent level. In order to complete the work under package with all variations, the completion amount was earlier envisaged to be Rs. 6204.83 Lacs. As subsequently directed the final anticipation of work completion amount has been reviewed in lieu of finalizing work at nearest safe stage. As such it is proposed to complete balance sewer work in Prithviraj Nagar area. Also, restoration work is to be restricted and preferably be got executed through concerning zone under separate order. Accordingly, final envisaged cost for the work has been envisaged as Rs. 5590.00 Lacs. Thus, revised A & F sanction of Rs. 5590.00 Lcas is required from Empowered committee.

As per recent directions, comparative analysis of road restoration work was done and it was concluded that road restoration work is cheaper if got executed through latest BSR 2016 vide separate tenders under respective zones (Details available in bill file page no. 571 to 581). Also, as the road in the sewered areas are partly Bituminous, partly WBM & partly earthen. As such entire area can be covered in case work is being executed through zone level.

It is therefore suitable to restrict BT restoration work under ongoing sewer packages and with separate sanctions the work may be got executed under new tenders.

Final likely amount of work has been envisaged in accordance to above.

The total case is submitted for perusal and according approval.

Decision

S. No.	Particular	Amount (Rs. In Lacs)	Competency as per applicable SOP	Approval Accorded/ Proposed by	Decision of EC
1	Excess Item (Including all variations as per old envisaged completion amount of Rs. 6204.83 Lacs)	2291.29	JDC, as per clause 21 of old SOP	JDC	Not Required
2	Excess Item (Including all variations as per now envisaged completion amount of Rs. 5590.00 Lacs)	1923.00	JDC, as per clause 21 of old SOP	JDC for amount Rs. 2291.29, to be restricted up to new amount Rs. 1923.00 Lacs	
3	Extra Item available in BSR rates but not included in sanctioned estimate/order	481.09	Director Engineering, as per clause 22 of old SOP	Director Engineering	Not Required

The total excess item amount of Rs. 2291.29 Lacs was approved at competent level as per applicable old SOP clause 21. Also, a total extra amount of Rs. 481.09 Lacs for items available in BSR rates but not included in sanctioned estimate/order was approved at competent level as per clause no. 22 of old SOP. It was found that total amount of excess and extra is exceeding 50% limit of work order amount as per RTPP act clause 73.

As discussed, the approved excess quantity was with anticipation of completing entire work including laying of sewer in Prithviraj Nagar, part area of Karni Nagar and

24.11.17

adjoining which is held up on want of ROW from forest department along with requisite WBM/ BT restoration work. The amount envisaged was Rs. 6204.83 Lacs. Accordingly, revised estimate duly approved at competent level is also available in bill file page no. 527 to 531. Since, the permission from forest department is not expected in near future and balance BT restoration work is also deferred. As such now anticipated completion amount is Rs. 5590.00 Lacs. Accordingly, as mentioned in the table envisaged excess amount is Rs. 1923.00 Lacs. The total amount of extra + excess item now comes out to Rs. 2404.09 Lacs, which is 44.5% of Work order amount. As such the additional amount for the work is now within 50% limit of work order amount as per RTPP act clause 73. Clause 12 & 12A of the contract agreement supports individual extra/ excess of items related to foundation works and clearly includes sewer work in that category.

As further proposed, BT restoration work under the package is restricted from now on and only WBM restoration shall be done as per site requirement and available/ approved quantity so as to ensure immediate relief. The balance BT restoration shall be done under separate work orders after completion of approval procedure under respective zones as per details provided in bill file page no. 571 to 580.

Revised A & F sanction of Rs. 5590.00 Lacs is accorded as proposed so as to complete balance feasible work under contract.

Up to date billing amount under this package as informed is Rs. 4952.98 Lacs. The work execution amount is restricted up to accorded A & F sanction of Rs. 5590.00 Lacs.

प्रस्ताव संख्या 42 :: Agenda Note for sanction of Extra- Excess items along with Revised Administrative & Financial Sanction for the work of Providing, Laying, Jointing, Testing & Commissioning of R.C.C. Sewer system & all accessories works, UPVC pipe including Manholes, Property Connection & Restoration of Roads etc. in Vivek Vihar & Part area of E-4 Zone of Jodhpur city

Agenda Note for the work under subject has been submitted for approval. Following are the salient features related to work.

Original A & F of the work	Rs. 6442.00 Lacs vide No. JDA/A&F/TA to DE/2012-13/742 dated 28-02-2013, concurrence of JDC vide no. 791 dated 26-02-2013 including cost of 15 MLD Sewage Treatment Plant (approx Rs. 1830.00 Lacs). Hence the net A & F amount for sewerage works comes out to Rs. 4612.00 Lacs.
Original TS of the work	Rs. 4576.94 Lacs vide no. DE(PHE)57/12-13 dated 07-03-2013.
Work order Amount	Rs. 4598.15 Lacs
Agreement No.	F38(1)/2013-14/EE ZONE-PHE
Likely Excess Amount (Statement	**Rs. 1323.52 Lacs (Approved by DE as per SOP, bill file page no. 454 - 464)**

24.11.13

Enclosed)	
Likely Extra Amount (Statement Enclosed)	**Rs. 209.04 Lacs** a) Extra Item available in BSR rates but not included in sanctioned estimate/order -Rs. 169.22 Lacs **(Approved by DE as per SOP bill file page no. 465)** b) Extra Item not available in and not included in sanctioned estimate/order (H Schedule) - Rs. 39.82 Lacs **(Approval required from EC as per SOP, bill file page no. 466)**
Likely Saving in contract BOQ	**Rs. 1539.15 Lacs**
Total amount envisaged for completion of work	**Rs. 4591.56 Lacs**

Reasons for Variation:

1. In accordance to revised hydraulic design/ drawing as per confirmatory survey, there had been variation in various sizes of pipes with quantity of some sizes exceeding and at the same time there is proportionate saving for other quantities in lieu of modification in drawing/ design of the work in as per confirmatory survey and actual ground conditions.
2. Similarly as per finalized drawing/ design there is variation in quantity of manholes and earth work for some depth it is exceeding with saving in other depths
3. Qty. of road cutting is also exceeding as per finalized design/ route and roads constructed during tender- work order phase.
4. Variation in various items of boundary wall construction for STP site as per layout finalized at site.
5. Inclusion of trenchless item for crossing of interceptor sewer at Shatabdi circle, Pali road.
6. Inclusion of small size chambers for property connection against bigger size chambers already included in the BOQ as per site requirement and considering cost saving.
7. Road restoration work deferred during the time of work order is now need of time and therefore is required to be executed as per the contract conditions/ BOQ.
8. Due to non encounter of water during excavation and ground conditions, there had been major saving in items of earth work in saturated soil, shoring.

As mentioned, the original A & F for the work is Rs. 4612.00 Lacs and Work order amount is Rs. 4591.56 Lacs. Completion amount for the work is envisaged to be within original A & F sanction. Excess item and Extra item (BOQ items) are already approved at competent level. Extra item (Non BOQ/ H- schedule) amounting to Rs. 39.82 is to be approved by Empowered committee along with allowance of requisite restoration work.

As per recent directions, comparative analysis of road restoration work was done and it was concluded that road restoration work is cheaper if got executed through latest BSR 2016 vide separate tenders under respective zones (Details available in bill file page no. 539 to 549). Also, as the road in the sewered areas are partly Bituminous,

24.11.17

partly WBM & partly earthen. As such entire area can be covered in case work is being executed through zone level.
It is therefore suitable to restrict BT restoration work under ongoing sewer packages and with separate sanctions the work may be got executed under new tenders.

The total case is submitted for perusal and according approval.

Decision

S. No.	Particular	Amount (Rs. In Lacs)	Competency as per applicable SOP	Approval Accorded/ Proposed by	Decision of EC
1	Excess Item	1323.52	Director Engineering, as per clause 21 of old SOP	Director Engineering	Not Required
2	Extra Item available in BSR rates but not included in sanctioned estimate/order	169.22	Director Engineering, as per clause 22 of old SOP	Director Engineering	Not Required
3	Extra Item not available in BSR and not included in sanctioned estimate/order	39.82	EC, as per clause 23 of old SOP	Proposed to be approved by agenda item in meeting dated 15-11-2017	Approved

Total amount of extra + excess item comes out to Rs. 1532.56 Lacs, which is 33.3% of Work order amount. As such the additional amount for the work is well within 50% limit of work order amount as per RTPP act clause 73. Clause 12 & 12A of the contract agreement supports individual extra/ excess of items related to foundation works and clearly includes sewer work in that category.
As further proposed, BT restoration work under the package is restricted from now on and only WBM restoration shall be done as per site requirement and available/ approved quantity so as to ensure immediate relief. The balance BT restoration shall be done under separate work orders after completion of approval procedure under respective zones as per details provided in bill file page no. 536 to 545.
Up to date billing amount under this package as informed is Rs. 2592.31 Lacs. The work execution amount is restricted up to work order amount Rs. 4598.15 which is less than available A & F sanction of Rs. 4612.00 Lacs . No approval shall be accorded beyond work order amount.

प्रस्ताव संख्या 43 :: Agenda Note for sanction of Extra- Excess items for the work of Providing, Laying, Jointing, Testing and Commissioning of RCC Sewer System & all accessories works, uPVC pipes including Manholes, Property connections & Restoration of roads etc. in E-2 Zone (Ward no.57 Area)

Agenda Note for the work under subject has been submitted for approval. Following are the salient features related to work.

24.11.17

Original A & F of the work	Rs. 2409.00 Lacs vide No. JDA/A&F/TA to DE/2012-13/303-306 dated 31-05-2012, concurrence of EC meeting held on dated 17-02-2012.
Original TS of the work	Rs. 2001.00 Lacs vide no. DE(N)/4/12-13 dated 31-05-2012.
Work order Amount	Rs. 2541.81 Lacs
Agreement No.	F38(7)/2011-12
Likely Excess Amount (Statement Enclosed)	**Rs. 366.32 Lacs (Approved by DE as per SOP, Bill file page no. 386 to 388)**
Likely Extra Amount (Statement Enclosed)	**Rs. 256.99 Lacs** a) Extra Item available in BSR rates but not included in sanctioned estimate/order - Rs. 86.83 Lacs **(Approved by DE as per SOP, Bill file page no. 389 to 391)** b) Extra Item not available in and not included in sanctioned estimate/order (H Schedule) - Rs. 170.16 Lacs **(Approval required from EC as per SOP)**
Likely Saving in contract BOQ	**Rs. 1171.77 Lacs**

Reasons for Variation:

1. In accordance to modification in design/ drawing considering optimum requirement at site, some items had exceeded but simultaneously there had been saving in other items.
2. Water level in the area being at shallow depth, related items exceeded.
3. Requisite item of manholes for 1200 and 1600 mm dia sewer not included in schedule of the tender.
4. Item of laying 600 mm dia sewer by trenchless technology with MS casing pipe for crossing of running nallah opposite to army office gate, Sikargarh, not included in schedule of tender.
5. Encounter of Jagia at site for which H- schedule rate already approved by Director Engineering.
6. Item of precast manholes (costing less as compared to Masonry manholes) included for smooth execution of work in highly collapsible strata (like Pabupura, Sikargarh, etc.) with analysis approved by Director Engineering.
7. Property chambers of smaller size instead of schedule item of larger chambers (not required at site and also leading to over all saving) had been analyzed and rates approved by Director Engineering.

As mentioned, the original A & F for the work is Rs. 2409.00 Lacs and Work order amount is Rs. 2541.81 Lacs. Completion amount for the work is envisaged to be within original A & F sanction. Excess item and Extra item (BOQ items) are already approved at competent level. Extra item (Non BOQ/ H- schedule) amounting to Rs. 118.45 Lacs was already approved in EC meeting dated 30/07/2014 & 31/07/2014 at Agenda no. 6(11). The item is now envisaged to be in tune of Rs. 170.16 Lacs. Hence is to be approved by Empowered committee.

24.11.17

As per recent directions, comparative analysis of road restoration work was done and it was concluded that road restoration work is cheaper if got executed through latest BSR 2016 vide separate tenders under respective zones (Details available in bill file page no. 634 to 644). Also, as the road in the sewered areas are partly Bituminous, partly WBM & partly earthen. As such entire area can be covered in case work is being executed through zone level.

It is therefore suitable to restrict BT restoration work under ongoing sewer packages and with separate sanctions the work may be got executed under new tenders.

Final likely amount of work has been envisaged in accordance to above.

The total case is submitted for perusal and according approval.

Decision

S. No.	Particular	Amount (Rs. In Lacs)	Competency as per applicable SOP	Approval Accorded/ Proposed by	Decision of EC
1	Excess Item	366.32	Superintending Engineer, as per clause 21 of old SOP	Director Engineering	Not Required
2	Extra Item available in BSR rates but not included in sanctioned estimate/order	86.83	Director Engineering, as per clause 22 of old SOP	Director Engineering	Not Required
3	Extra Item not available in BSR and not included in sanctioned estimate/order	170.16	EC, as per clause 23 of old SOP	Proposed to be approved by agenda item in meeting dated 15-11-2017. {Amount includes earlier approval of extra item of Rs. 351.49 Lacs including H-schedule item of Rs. 118.45 Lacs in EC meeting dated 30/07/2014 & 31/07/2014 at Agenda no. 6(8)}	Approved

Revised amount of Extra item (Non BOQ/ H- schedule) amounting to Rs. 170.16 Lacs is approved being in competence of EC as per clause 23 of old SOP applicable to the work.

Total amount of extra + excess item comes out to Rs. 623.31 Lacs, which is 24.52% of Work order amount. As such the additional amount for the work is well within 50% limit of work order amount as per RTPP act clause 73. Clause 12 & 12A of the

24.11.17

contract agreement supports individual extra/ excess of items related to foundation works and clearly includes sewer work in that category.
As further proposed, BT restoration work under the package is restricted from now on and only WBM restoration shall be done as per site requirement so as to ensure immediate relief. The balance BT restoration shall be done under separate work orders after completion of approval procedure under respective zones as per details provided in bill file page no. 421 to 430.
Up to date billing amount under this package as informed is Rs. 1434.80 Lacs. The work execution amount is restricted up to available A & F sanction of Rs. 2409.00 Lacs . No approval shall be accorded beyond available A & F.

प्रस्ताव संख्या 44 :: Revised A & F sanction of estimate for JDA Developed Sunder Singh Bhandari Scheme by accepting supervision charges included in estimates received from PHED.

Agenda Note for the work under subject has been submitted for concurrence.
Following are the salient features related to work.

- Executive Engineer, PHED, City Div. II vide letter no. EE/TA/4579 dated 16-10-2016 forwarded estimate of Rs. 185.00 Lacs which included contingency charges @ 5% & supervision charges @ 17.5%.
- Approval of Rs. 157.70 Lacs was accorded by JDC sir at para no. N/21 after excluding supervision charges.
- First installment of Rs. 100.00 lacs was deposited in PHED vide cheque no. 978596 dated 09-03-2014
- PHED has shown disability in taking up the work mentioning reason of non sanction due to exclusion of supervision charge in A & F sanction accorded by JDA.
- PHED has conveyed that inclusion of supervision charges in estimate is mandatory as per norms of State Government and as such revised A & F sanction including supervision charges is must for further action at PHED level.
- Matter has been discussed with PHED officers wherein they had submitted letters of Chief Engineer, PHED, Jaipur & Addl. Chief Engineer, PHED, Jodhpur in this regard for perusal and requested for according revised sanction.
- In lieu of above not only First Installment against work, deposited to PHED remains un-utilized but the basic requirement of the habitants could not be fulfilled despite repeated demand.
- Recently revised A & F sanction of Rs. 193.25 Lacs had been accorded to estimate for providing water supply system in R. K Puram, Choka after including supervision charges.
- EE, PHED City Div. II vide recent letter no. EE/TA/2991 dated 27-09-2017 had again requested for according revised A & F sanction after including supervision charges.

24.11.17

- Further, estimates are being regularly demanded from PHED for development of water supply system in various JDA flagship colonies and other schemes. A general decision of according A & F sanction with supervision charges, if included in PHED estimate be taken at EC level.

The total case is submitted for perusal and according approval.

Decision

As per the agenda instead of earlier approval of 157.70 lacs revised A&F sanction including supervision charges @ 17.5% amounting to Rs. 185.00 lacs has been accorded unanimously.

प्रस्ताव संख्या 45 :: Approval of Extra Items (Non BSR), Retrofitting work for Span P46-P47 in 2nd level of ROB and Deviation Statement of the work of Construction of 4-lane ROB in lieu of RUB B-72 (Between Riktiya Bhairuji Chorava & Rotary Circle), Jodhpur.

With reference to above cited subject, the work of Construction of 4-lane ROB in lieu of RUB B-72 (Between Riktiya Bhairuji & Rotary Circle), Jodhpur was sanctioned in the budget of GOR in 2013-14. Administrative and Financial Sanction for the above work is Rs. 111.00 Crore. Vide this office agreement no. F38(01)/2013-14/EE Zone ROBII/B-72, the work order was issued to M/s G.R. Infraprojects Ltd. Udaipur for an amount of Rs. 95,95,58,908/- As per work order, the stipulated date of start of the work was 27.08.2013 and stipulated date of completion was 26.02.2016. As per the approved GAD, Design & Drawing and as per requirement of the site, interim Deviation Statement was approved by the Director Engineering on dated 28.05.2014. After successful completion of load testing and recommendations of Design- Supervision Consultant 1st level of ROB was opened for public traffic on dated 23.08.2017.

Following items were executed as an extra items as per proof checked and duly approved design & drawing of ROB:-

1. **Sanction of Extra item (Non BSR Items) as per Proof checked, approved Design & Drawing:-**
   - **A. Add extra for addition of 6 mm aggregates including compensation of Earth for RE wall embankment:-**

     Design & Drawing of all 3 sides RE wall approaches of ROB was Proof checked by IIT Mumbai. As per the chapter no. 3100 of MoRTH, there is requirement of select fill (Granular material) in construction of RE wall approaches. As per BOQ of ROB item no. 38 was taken for construction of embankment in RE wall approaches. This item was taken from PWD Road BSR 2012 and this item is related to construction of normal embankment without use of RE panels. As per the technical specifications; in normal embankment construction there is no need of select fill (Granular Material) as

24.11.17

there is no requirement of internal friction. But as per technical specification of chapter no. 3100 of MoRTH, select fill is essentially required in order to provide requisite internal friction on surface of Geogrids and to keep the panels on its position during application of active pressure of earthen embankment. Contractor submitted select fill design confirming to technical specifications of chapter no 3100 of MoRTH. As per the design of the select fill, 80% dune sand was proposed to mix with 20% 6mm aggregates.

Being original BOQ item no. 38, related to construction of normal embankment only, 6mm aggregate was mixed with dune sand in order to confirm MoRTH specifications and requirement of proof checked design of RE wall. Hence, addition of 6mm aggregate in dune sand was formed as an extra item which includes mixing of 6mm aggregate, loading-unloading, compensation of earth etc. complete as per clause no. of 59 of agreement. As per rate analysis rate for this item is Rs. 102/- per cum and it has been approved by S.E. & D.E. as per the provisions of the SOP of JDA.

It is essential to mention here that for RE wall embankment construction there is no direct item is available in PWD NH BSR 2012. The contractor has demanded Rs. 459.69/- per cum based on PWD NH BSR 2012. In RUIDP BSR 2013, direct item related to RE wall embankment construction is available and its rate is Rs. 383/- per cum. As per BOQ, rate of item no. 38 is Rs. 147/- per cum. If this rate is added to proposed rate of mixing of 6mm aggregate i.e. Rs. 102/- per cum, then overall rate comes to Rs. 249/- per cum which is much below than rates of RUIDP BSR 2013/ and rate demanded by contractor. Total amount for this item is Rs. 52,02,000/- and submitted herewith before Executive Committee for approval as per the provisions of the SOP.

B. Supplying, laying and profiling in position and applying solution tape for water tight galavanised iron sheathing pipe and fixing Anchorage Cone for future prestressing of cables in PSC girders

As per proof checked, approved design and drawing of ROB there was provision of dummy cable in all 5 PSC Box girders in order to meet any requirement of future prestressing or shortfall in designed prestressing force/elongation. For provisions of dummy cable in box girders, anchorage cone and sheathing pipes are installed/ fixed prior to concreting of box girders. These dummy cables are used only in case of shortfall in designed forces/ designed elongation during prestressing or any loss of prestress in future.

Therefore, provision of dummy cable in box girder was essential and unavoidable. Being non availability of direct item of dummy cable in original BOQ, its rate analysis was formed as per the provisions of clause no. 59 of agreement and got approved by S.E. & D.E. JDA. As per the approved rate analysis, rate of sheathing pipe and anchorage cone is Rs. 414/- per mtr per 2 anchorage cone. Total amount for this item is Rs. 3,05,532/- and submitted herewith before Executive Committee for approval as per the provisions of the SOP.

24.11.17

C. Add extra for M45 instead of M35

As per proof checked and approved design & Drawing of ROB, grade of concrete for crash barrier and friction slab in RE wall approaches and all bearing pedestals over piers of ROB was M-45. But in BOQ, grade of concrete for these structures were taken as M-35. As per the bridge terminology, these all structures belong to substructure portion. Highest grade of concrete for substructure portion in PWD NH BSR 2012 is up to M-35 grade. Therefore, an item of add extra over M- 35 to M-45 was introduced and executed as an extra item at site. Rate analysis of this item was prepared based on difference in various constituents of concrete mix design for M 35 & M 45 grade concrete submitted by MBM Engineering College, Jodhpur. As per rate analysis rate of this item is Rs. 256/- per cum and it has been approved by S.E. & D.E. as per the provisions of SOP. Total amount for this item is Rs. 4,86,400/- and submitted herewith before Executive Committee for approval as per the provisions of the SOP.

D. Construction of inauguration stone & foundation stone complete in all respect

Being ROB Riktiya Bhairuji a prestigious project of Jodhpur city as well as of Jodhpur Development Authority, its foundation stone was laid by the then Hon'ble CM of Rajasthan. Looking to the project of public importance, JDA Jodhpur is proposing its inauguration by Hon'ble CM of Rajasthan. As per the routine practice, Foundation stone and Inauguration stones of ROB are proposed to install at the end/beginning of approaches. Installation of Foundation stone shall be done on Medical end and Inauguration stone shall be done on Nagar Nigam end of ROB. Being this item is not available in original BOQ as well as in PWD BSR, its rate analysis was prepared as per the provisions of clause no. 59 of the agreement. As per rate analysis, cost of this item is Rs. 1,75,967/- per stone pedestal. Total amount for this item is Rs. 3,51,934/- and submitted herewith before Executive Committee for approval as per the provisions of the SOP.

E. Add extra for Silica fume for High Performance concrete grade for Box Girders

As per proof checked and approved design & drawing of ROB, there were 5 Box girders proposed with M-55 grade of concrete in superstructure. As per original BOQ of ROB, highest grade of concrete for superstructure work were M-45. Hence, item of M-55 grade of concrete was introduced as an extra item in place of item of M-45.

Concrete mix design for M55 grade of concrete was prepared by MBM Engineering College, Jodhpur. As per concrete mix design of M55 grade of concrete, there was provision to use Micro Silica Fumes in order to achieve the requisite strength of High performance concrete. In addition as per section

24.11.17

1715 of MoRTH, there is requirement of addition of Micro Silica Fumes in High Performance Concrete to achieve required designed strength of concrete.

As per concrete mix design submitted by MBM Engineering College Jodhpur; 65 kg Micro Silica Fumes per cum of concrete was proposed. Being item of addition of Micro Silica Fumes in concrete is not available in BOQ as well as in PWD BSR, this item was formed as an extra item based on market rate analysis as per the provisions of clause no. 59 of agreement. Rate of this item as per rate analysis is Rs. 1644/- per cum and it has been approved by D.E. as per the provisions of SOP. Total amount for this item is Rs. 59,18,400/- and submitted herewith before Executive Committee for approval as per the provisions of the SOP.

Total amount of Extra item (Non BSR items) is as under:-

S.No.	Items	Amount for which sanction is required
a)	Add extra for addition of 6 mm aggregates including compensation of Earth for RE wall embankment	52,02,000.00
b)	Supplying, laying and profiling in position and applying solution tape for water tight galavanised iron sheathing pipe and fixing Anchorage Cone for future prestressing of cables in PSC girders	3,05,532.00
c)	Add extra for M45 instead of M35	4,86,400.00
d)	Construction of inaugration stone & foundation stone complete in all respect	3,51,934.00
e)	Add extra for Silica fume for High Performance concrete grade for box girders	59,18,400.00
	Total	**Rs. 1,22,64,266.00**

Decision

As submitted by the Director Engineering and respective engineers total amount of non BSR item (Extra Item), commonly said in engineering language "H Schedul Items" approval has been granted of total amount for Sr. No. (a) to (e) of Rs. 12264266/- which is as per item No. 23 of then prevailing BSR. The rates of analysis of these item has already been approved by Director Engineering and Supdt. Engineer as per their competency.

24.11.17

2. Regarding sanction of Retrofitting work of span P46-P47 of second elevated bridge

In one of the span of 2nd level of ROB Riktiya Bhairuji, P46-P47, deflection was noticed and it was conveyed to the Design-Supervision Consultant telephonically as well as in written vide this office letter no. 259, dated 17.08.2017 for comment/ suggestion/ remedial measures. Design-Supervision Consultant along with Bridge expert Sh. Sunil S. Jadhav visited the site on dated 23.08.2017 and submitted their technical report vide their letter no IIIE/08/318 dated 23.08.2017. This technical report was submitted before Hon'ble High Court on 24.08.2017 in which it was mentioned that technical reason behind observed deflection at site is two directional curvilinear shape of girders which has complex behavior and difficult to definitely assess. In addition, it was also mentioned that construction work at site were done as per approved drawings, technical standards, specifications, quality assurance and there is no quality related issues in the structures. Hon'ble High Court in its decision dated 24.08.2017 mentioned that major part of over bridge has already been opened for movement of traffic and little part requires some retrofitting process of structure.

JDA issued notice to Design-Supervision Consultant M/s IIIE, Bangalore regarding submission of detailed technical reasons for deflection observed in composite girder vide letter no. 279, dated 24.08.2017. M/s IIIE Ltd submitted reply vide their letter no. IIIE/09/326 dated 04.09.2017 mentioning that the composite structure of 45mtr span curved in plan and vertical profile, is of unique and first of its kind to be adopted in Indian context. Its behavior regarding deflection is somewhat complex and difficult to assess.

In order to have independent technical expert opinion/ reasons regarding observed deflection in composite girder Span P46-P47 a request letter from JDA vide letter no 322 dated 04.09.2017 was sent to Prof. (Dr.) Ajay Sharma, Department of Structural Engineering, M.B.M. Engineering College, JNVU, Jodhpur. Prof. (Dr.) Ajay Sharma submitted his technical report vide letter dated 04.10.2017 mentioning that curved span is constituting of multiple steel 'I' girder which is probably complex in rotational-deflection behavior. In addition in his report it was also mentioned that there is no visual evidences of any signs of distress either in concrete deck or in curved plate girder assembly. In such complex designs, extra efforts have to be made to ensure such issues like control/ stabilization of deflection. In his letter, it was also admitted that retrofitting will make curved span permanently safe and serviceable.

JDA vide its letter no 299, dated 29.08.2017 submitted notice to M/s G.R. Infraprojects Ltd. regarding functioning of Bearing of Composite girder span P46-P47. Contractor M/s G.R. Infraprojects Ltd. submitted certificate/undertaking vide their letter no. GRIL/ROB/JODH/546, dated 13.09.2017 stating "All installed POT PTFE Bearing have been checked and found them in order. Their locking nuts have been removed and there is no sign of distress in POT PTFE Bearings and bearing pedestal."

24.11.17

Present condition of Composite girder span P46-P47 is not in failure/ damaged condition. In order to make Bridge fully functional/ serviceable and to ensure long life of structure, Deign-Supervision Consultant, Bridge Expert and technical opinion of MBM Engineering College has recommended retrofitting. Being structure not in failure/ damaged condition, retrofitting cost shall be borne by JDA, because retrofitting is additional effort to make existing structure serviceable, functional and for its safety and long life of structure.

In order to control/ stabilize observed deflection of Span P46-P47, incorporation of 2 intermediate supports, provision of Bow String Girder in central part for restoration of deflection, provision of new spherical bearings at new intermediate supports and replacement(if required) of bearing at P46 & P47 shall be part of retrofitting. Construction of new intermediate supports shall be done using available BOQ items; for Bow String Girder RUIDP BSR 2013 shall be adopted and for remaining retrofitting items current market rates shall be adopted. Rate analysis of Non BSR items have been approved by SE & DE as per the provisions of SOP. Tentative cost of retrofitting work is Rs. 3,34,09,047/- Total cost for retrofitting is Rs. 3,34,09,047/- and submitted herewith before Executive Committee for approval as per the provisions of the SOP.

Decision

As per report submitted by the Director Engineering, Superintending Engineer & Executive Engineer (ROB), in one span of second level ROB, Riktiya Bheruji pier P-46-47 deflection was noticed and it was examined by the design supervision consultant along with bridge expert Sh. Sunil S Jadav. At the same time comments were obtained from Prof. (Dr) Ajay Sharma, Department of Structural Engineering, MBM Engineering College, JNVU, Jodhpur who submitted his technical report dated 4-10-2017. A notice was issued by Jodhpur Development Authority to M/s G R Infra Projects Ltd. regarding functioning of piers of composite girder span P 46-47 who has submitted his reply. As per report of the consultant/ expert in order to control/ stabilize deflection of span P 46-47, incorporation of two intermediate supports, provision of bow string girder in central part for restoration of deflection, provision of new spherical bearings at new intermediate supports and replacement (if required) of bearing at P- 46 & P- 47 shall be part of retrofitting. Total anticipated cost for retrofitting is Rs. 3.34 Crores.

Looking to the above facts committee discussed the case and arrived at conclusion that true reason of deflection and whether this deflection is due to design or execution should be examined first. In order to reach a proper conclusion, a committee of following officers is framed :

1. Director Engineering (Chief Engineer, JDA, Jodhpur)
2. Superintending Engineer (Any two from JDA, Jodhpur, to be selected by Director Engineering)
3. On Executive Engineer from PWD for which Commissioner, JDA, Jodhpur will request Addl. Chief Engineer PWD, Jodhpur to depute one of his best Civil Engineer preferably having experience in bridge construction for assistance in detailed examination.

24.11.17

Director Engineering can depute any other Engineer if he requires for examining the construction of the structure as per drawing and design. Having complete this task, the committee will report within a month to Executive Council for further necessary action.

3. Regarding sanction of Deviation Statement of ROB Riktiya Bhairuji

The construction of ROB Riktiya Bhairuji has been done as per the proof checked, approved design and drawing. After successful completion of superstructure load testing and recommendations of Design- Supervision Consultant, 1st level of ROB was opened for public traffic on dated 23.08.2017. In order to stabilize and control the deflection of span P46-P47 of 2nd level of ROB, connecting Nagar Nigam end to Medical college end, retrofitting work is in progress for span P46-P47. As per the actual work done till date and proposed retrofitting work for span P46-P47, interim deviation statement has been prepared for the work. As per the deviation statement the total cost of the work is Rs. 109,38,11,258/- which includes excess item amount of Rs. 21,61,41,340/-, extra item amount of Rs. 8,25,92.317/- and saving of Rs. 18,43,97,900/-. The total cost of Rs. 109,38,11,258/- includes the amount of extra items (Non BSR) of Rs. 1,22,64,266/- narrated above at Point no. 1, amount for Retrofitting work of Rs. 3,34,09,047/- narrated above at Point no. 2 and expenditure for electrification work on ROB executed by EE Elect JDA i.e. Rs. 1,78,79,799/-. Hence, the total cost of the ROB is well within the Administrative and Financial sanctioned amount of Rs. 111.00 Crore of the project.

Hence, the matter is submitted before Executive Committee of Authority for approval and sanction of Non BSR Extra items, approval & sanction of Retrofitting work of span P46-P47 of 2nd elevated bridge and Interim Deviation statement of the work.

Decision

The matter is discussed and it was found that above matter does not fall in the ambit of Executive Council. Therefore, no action is required.

प्रस्ताव संख्या 46 :: लेवल कॉसिंग संख्या सी–7 के स्थान पर चार–लेन आर.ओ.बी. भदवासिया के निर्माण कार्य का Deviation Statement स्वीकृति एवं अंतिम बिल का संवेदक को भुगतान करने की स्वीकृति बाबत।

लेवल क्रॉसिंग संख्या सी–7 के स्थान पर चार–लेन आर.ओ.बी. भदवासिया के निर्माण कार्य हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक विवरण दिनांक 29.03.2011 के प्रस्ताव संख्या 3–1(1) द्वारा रू. 35.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त कार्य का कार्यादेश मैसर्स राके I कन्स्ट्रक ान कम्पनी, मेहसाणा को अनुबंध संख्या F38(04)/2011-12 द्वारा रू. 27,44,34,682/– का जारी किया गया था। कार्यादेश के अनुसार कार्य प्रारंभ करने की तिथि एवं कार्य पूर्ण करने की नियत तिथि क्रमशः

24.11.17

गर्डर द्वारा ही निर्माण कार्य संभव था। अतः शेष 17 स्पान हेतु कास्ट–इन–सीटू गर्डर का अतिरिक्त आईटम क्रियान्वित किया गया। इस अतिरिक्त कार्य पर लगभग रू. 91 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

4. एप्रुवड डिजाईन एवं ड्राईंग में क्रैश–बेरियर एवं मीडियन की कन्क्रीटींग का ग्रेड M-40 था किन्तु उक्त M-40 ग्रेड कन्क्रीट का समावेश मूल तकमिनें में नहीं था, जिस कारण M-40 ग्रेड कन्क्रीट का आईटम अलग से क्रियान्वित किया गया जिस पर लगभग रू. 67 लाख का व्यय हुआ।

5. आर.ओ.बी. भदवासिया की एप्रुवड जी.ए.डी. के अनुसार ब्रिज का एलाइग्नमेंट तत्कालीन रोडवेज वर्कशाप, रोडवेज डिपो एवं फ्रुट–मण्डी से होकर था। जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं राजस्थान राज्य पथ–परिवहन निगम के अधिकारियों के मध्य हुई वार्तानुसार यह तय किया गया कि ब्रिज निर्माण से पूर्व रोडवेज के शैड्स एवं स्टोर जो कि ब्रिज निर्माण की लाईन में आ रहे थे, उनका निर्माण रोड़वेज परिसर में ही नवीन स्थान पर किये जाने के बाद रोडवेज परिसर में आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जायेगा। साथ ही ब्रिज निर्माण की लाईन में आने वाली भदवासिया छोर की 23 दुकानों (जो कि पूर्व में यू. आई.टी. द्वारा ही निर्मित थी) एवं महामन्दिर छोर की 11 दुकानों की विस्थापना हेतु, इस कार्य के अन्तर्गत ही प्राधिकरण द्वारा कुल 52 दुकानों का निर्माण करवाना तय हुआ था। यह सभी बिल्डिंग कार्य आईटम्स मूल तकमिनें में सम्मिलित नहीं थे। अतः उक्त कारणों से बिल्डिंग कार्य हेतु अतिरिक्त/अधिक आईटम्स का क्रियान्वन किया गया। इन सभी कार्यों पर लगभग रू. 1.82 करोड़ का अतिरिक्त/आधिक्य व्यय हुआ।

6. उक्त वर्णित बिल्डिंग कार्यों में इलेक्ट्रिक फीटींग का कार्य भी करवाया गया, जिस कारण इलेक्ट्रिक के अतिरिक्त आइटम का क्रियान्वयन किया गया। साथ ही ब्रिज के पिल्लर संख्या 8 से रोडवेज के तत्कालीन जनरेटर, ट्रांसफोरमर एवं मीटर बॉक्स को नवीन स्थान पर शिफ्ट किया गया, जिस हेतु भी अतिरिक्त आईटम का क्रियान्वयन हुआ।

7. ब्रिज पर लाईटिंग हेतु तकमिनें में मूलतः सोडियम वैपर लाईट सम्मिलित थी। राज्य सरकार एवं ऊर्जा विभाग के आदे ानुसार लाईटिंग हेतु ऊर्जा दक्ष स्व लाईट का ही प्रयोग करने के निर्देश प्राप्त हुए। अतः LED लाईट का अतिरिक्त आईटम, सोडियम वैपर लाईट के स्थान पर क्रियान्वित किया गया। इस अतिरिक्त कार्य पर लगभग रू. 28.50 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

8. आर.ओ.बी भदवासिया के निर्माण कार्य समाप्त करने की निर्धारित तिथि दिनांक 17.12.2012 थी। किन्तु समय पर निर्माण हेतु रोडवेज परिसर में आवश्यक भूमि उपलब्ध न होने के कारण व एन.एच. एवं भदवासिया छोर पर दुकानों के विस्थापन में समय लगने के कारण आर.ओ.बी. के निर्माण में विलम्ब हुआ एवं कार्य दिनांक 14.02.2016 को पूर्ण हो पाया। निर्माण के दौरान आमजन एवं यातायात की सुरक्षा की दृष्टि से आर.ओ.बी. निर्माण परिसर के चारों ओर बेरिकेटिंग लगाना आवश्यक था। अतः निर्माण कार्य में लगने वाले अतिरिक्त समय के दौरान (18.12.2012 से 14.02.2016 तक) संवेदक द्वारा की गई बेरिकेटिंग का भुगतान प्रचलित दर वि लेशण आधार पर किया गया। इस अतिरिक्त कार्य पर लगभग रू. 32 लाख का व्यय हुआ।

9. ब्रिज निर्माण पश्चात् IRC अनुसार ब्रिज की टेस्टिंग हेतु, ब्रिज पर सुपर–स्ट्रक्चर लोड–टेस्टिंग आवश्यक है। इस हेतु ब्रिज के 3 स्पान (मय रेल्वे स्पान) पर सुपर–स्ट्रक्चर लोड–टेस्टिंग की गई। यह टेस्ट ब्रिज के मूल तकमिनें में सम्मिलित नहीं था। अतः यह कार्य अतिरिक्त आईटम के रूप में सम्मिलित किया गया जिस पर लगभग रू. 7.50 लाख का व्यय हुआ।

पूर्व में प्राधिकरण की कार्यसमिति की बैठक दिनांक 12.12.2012 में प्रस्ताव संख्या 33 के अन्तर्गत इस कार्य हेतु रू. 34.60 करोड़ का Deviation स्वीकृत किया गया था। कार्य की क्रियान्विति के काल में डिजाईन एवं ड्राईंग अनुसार विभिन्न प्रकार के निर्माण आईट्म्स को सम्मिलित करते हुए अंतरिम Deviation तैयार किया गया था जिसकी राशि रू. 34.85 करोड़ आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 30.06.2015 को अंतरिम रूप में स्वीकृत की गई थी। कार्य के

24.11.17

अंतिम बिल से पूर्व कार्य का Final Deviation Statement तैयार किया गया है जिसमें कुल आधिक्य रु 6.84 करोड एवम्, अतिरिक्त कार्य रु. 8.43 करोड एवं बचत रु. 12.29 करोड है एवं परियोजना की कुल लागत रु. 33.54 करोड (रू. 3.11 करोड मुल्य वृद्धि बिल लागत 30.43 करोड कार्य लागत) है जो कि पूर्व स्वीकृत प्रभाासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की परीधि में ही है। अतः प्रकरण सक्षम स्तर पर अवलोकनार्थ, स्वीकृति एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार भदवासिया रेल्वे फाटक (सी–7) पर चार लेन आरओबी के निर्माण कार्य हेतु प्राधिकण की पूर्व में आयोजित कार्य समिति की बैठक दिनांक 12.12.2012 में प्रस्ताव संख्या 33 के अन्तर्गत इस कार्य का प्रोविजनल डेवियशन स्टेटमेन्ट स्वीकृत किया गया था जिसके अनुसार कार्य पर आधिक्य कार्य लागत लगभग रू. 5.08 करोड, अतिरिक्त कार्य लागत लगभग रू. 6.25 करोड (रू. 4.59 करोड बीएसआर आईटम + रू. 1.66 करोड़ नॉन बीएसआर आईटम) एवं बचत लगभग रू. 4.17 करोड स्वीकृत की गयी थी जिसके अनुसार कार्य की कुल लागत रू. 34.60 करोड स्वीकृत की गई थी।

एजेण्डा अनुसार कार्य की क्रियान्वति के काल में कार्य का प्रोविजनल डेवियशन स्टेटमेन्ट प्राधिकरण के आयुक्त महोदय एवं तत्कालीन निदेशक अभियांत्रिकी द्वारा दिनांक 30.6.2015 को स्वीकृत किया गया था जिसकी राशि रू. 3485.78 लाख थी जिसमें आधिक्य कार्य राशि रू. 858.83 लाख, अतिरिक्त कार्य राशि रू. 846.30 लाख (रू. 484.51 लाख बीएसआर आईटम + रू. 361.79 लाख नॉन बीएसआर आईटम) एवम् बचत राशि रू. 963.69 लाख थी। उपरोक्त कार्य दिनांक 14.02.2016 को पूर्ण कर लिया गया था एवम् माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा दिनांक 15.02.2016 को लोकार्पण कर आमजन यातायात हेतु इसे खोल दिया गया था।

बैठक में प्राधिकरण की अभियांत्रिकी शाखा की ओर से उपस्थित श्री जी.पी.एस चौहान अधिशाषी अभियन्ता जोन–आरओबी द्वारा बैठक के दौरान विस्तृत फाईनल डेवियशन स्टेटमेन्ट प्रस्तुत किया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. कार्य हेतु कुल आधिक्य कार्य की राशि :– रू. 684.02 लाख
2. कार्य हेतु अतिरिक्त कार्य की राशि (बीएसआर आईटम) :– रू. 478.35 लाख
3. कार्य हेतु अतिरिक्त कार्य की राशि (नॉन बीएसआर आईटम) :– रू. 365.20 लाख
4. कार्य में बचत राशि :– रू. 1229.13 लाख

बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्य हेतु अतिरिक्त कार्य राशि (नॉन बीएसआर आईटम) रू. 365.20 लाख जो कि कार्य हेतु तत्कालीन प्रचलित SOP के बिन्दु संख्या 23 के अनुसार प्राधिकरण की कार्यसमिति बैठक स्तर पर स्वीकृत की जानी है । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रकरण में कार्य की अतिरिक्त राशि (नॉन बीएसआर आईटम) रू. 365.20 लाख को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त चूंकि कार्य पूर्ण हो चुका हैं एवं तत्सम्बधित कार्य का अनुमोदन कार्य समिति बैठक की प्रत्याशा में सक्षम स्तर पर किया गया था, अतएव तदनुसार कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

प्रस्ताव संख्या 47 :: Consultancy Services for ''Preparation of feasibility report for construction of ROB/RUB in lieu of LC C-168 (RTO Phatak) along with its drainage disposal at Jodhpur (Rajasthan)'' की स्वीकृति बाबत्।

24.11.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि लेवल क्रॉसिंग संख्या सी–168 (आर.टी.ओ. ऑफिस रोड़) के स्थान पर आर.ओ.बी./आर.यू.बी. बनाने हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट एवं डीपीआर तैयार करने के लिये कन्सलटेन्सी सर्विसेज की आव यकता है। इस कन्सलटेंसी कार्य हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 349 दिनांक 06.09.2017 के द्वारा प्रोजेक्ट डायरेक्टर, WAPCOS Ltd. को प्रस्ताव पत्र प्रेषित किया गया था। इस प्रस्ताव पत्र के अनुक्रम में WAPCOS Ltd.] गुडगाँव के पत्र क्रमांक WAP/RUD/JDA/ROB/2017 दिनांक 28.09.2017 के द्वारा वित्तिय प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार कन्सलटेंसी कार्य की लागत रू. 83.50 लाख GST उल्लेखित की गई।

निदेशानुसार WAPCOS Ltd. के अधिकारियों से दुरभाश पर वित्तिय प्रस्ताव में नेगोशिएशन हेतु निवेदन किया गया जिसके फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 505 दिनांक 25.10.2017 के द्वारा परियोजना लागत का 1 प्रतिशत कन्सलटेंसी चार्जेज के रूप में सहमती पत्र जारी किया गया।

WAPCOS Ltd. के प्रोजेक्ट इंजिनियर द्वारा दिनांक 26.10.2017 को साईट विजिट एवं जेडीए कार्यालय में बैठक के दौरान प्रस्तुत पत्र संख्या WAP/RUD/JDA/ROB/2017 दिनांक 27.10.2017 के अनुसार आर.ओ.बी. परियोजना की कुल लागत लगभग रू. 68.00 करोड़ है। अतः कन्सलटेंसी कार्य की अनुमानित लागत रू. 68.00 लाख (@1% of Project Cost) है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण में प्रचलित SOP के क्रम संख्या 6 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार ऐसे कन्सलटेंसी कार्य जिनकी लागत रू. 15.00 लाख से अधिक है, की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अधिकार प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में निहित है। अतः प्रकरण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

Decision

Having discussed Adm & Financial sanction for the Consultancy Services for ''Preparation of feasibility report for construction of ROB/RUB in lieu of LC C-168 (RTO Phatak) along with its drainage disposal at Jodhpur (Rajasthan) of Rs. 15.00 lacs is being granted.

प्रस्ताव संख्या 48 :: आर.ओ.बी. रिक्तिया भैरूजी के द्वितीय पुल के कम्पोजिट गर्डर स्पान पी 46 – पी 47 के रेट्रोफिटींग कार्य हेतु एम.बी.एम. इंजिनियरिंग कॉलेज, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की प्रोफेशनल सर्विसेज हायर करने बाबत।

उपरोक्त विशयान्तर्गत निवदन है कि आर.ओ.बी. रिक्तियां भैरूजी के द्वितीय पुल के कम्पोजिट गर्डर स्पान पी46–पी47 में प्राप्त Deflection की डिजाईन सुपरविजन कन्सलटेंट मैसर्स IIIE, Banglore एवं Bridge Experts श्री सुनील एस. जाधव की संयुक्त तकनीकी जाँच रिपोर्ट दिनांक 23.08.2017 को माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। इस तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार कम्पोजिट गर्डर स्पान पी46–पी47 में प्राप्त Deflection आने का मुख्य कारण इस प्रकार के पुल जिनमें विशिष्ट प्रकार की डिजाईन एवं बनावट सम्मिलित हो, उनमें Deflection प्राप्त होना तकनीकी दृश्टि से स्वाभाविक है। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा Department of Structural Engineering, M.B.M. Engineering College, JNV University, Jodhpur को भी कम्पोजिट गर्डर स्पान पी46–पी47 में प्राप्त Deflection के तकनीकी जाँच हेतु प्रेषित पत्र क्रमांक 322 दिनांक 04.09.2017 के अनुसरण में प्रो. अजय शर्मा,

24.11.17

Department of Structural Engineering, M.B.M. Engineering College, JNV University, Jodhpur का प्राप्त पत्र दिनांक 04.10.2017 के अनुसार कार्यस्थल पर जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये निर्माण कार्य को स्वीकृत डिजाईन, ड्राईंग एवं गुणवत्तापूर्वक पाया गया। प्राप्त Deflection का तकनीकी कारण पुल की Complex डिजाईन एवं बनावट को बताया गया। इसके साथ यह भी बताया गया कि इस प्रकार के प्राप्त Deflection को Retrofitting कार्य करके Permanently Safe and Servicable बनाया जा सकता है।

आर.ओ.बी. रिक्तियां भैरूजी के द्वितीय पुल के कम्पोजिट गर्डर स्पान पी46–पी47 में प्राप्त Deflection को सीमा में एवं स्थिर करने हेतु प्रस्तावित रेट्रोफिटींग कार्य जो कि अपने आप में एक विशिष्ट तकनीकी कार्य है जिसका क्रियान्वयन अनुभवी एवं तकनीकी दक्ष प्रोफेशन्लस की देखरेख में करना उचित रहता है। अतः तकनीकी दक्ष वि ोशज्ञों की देखरेख में रेट्रोफिटींग कार्य को सम्पादित करने की दृष्टि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 447 दिनांक 27.09.2017 के द्वारा Prof. Ajay Sharma, Department of Stuctural Engineering, JNVU, Jodhpur को रेट्रोफिटींग कार्य हेतु प्रोफे ानल सर्विसेज प्रदान करने बाबत् निवेदन किया गया था।

Prof. Ajay Sharma, Department of Stuctural Engineering, JNVU, Jodhpur के पत्र क्रमांक 156 दिनांक 06.10.2017 के द्वारा रू. 5.00 लाख + 18% Service Tax का प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे सक्षम स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। निर्देशानुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 521 दिनांक 27.10.2017 के द्वारा प्रस्ताव में प्रस्तुत दर में नेगोशिएशन हेतु निवेदन किया गया। Prof. Ajay Sharma, Department of Stuctural Engineering, JNVU, Jodhpur के पत्र क्रमांक 156/1 दिनांक 29.10.2017 के द्वारा विशिष्ट प्रकार का कार्य होने के कारण पूर्व प्रस्तावित दर में नेगोशिएशन करने में असमर्थता दर्ज की है।

RTPP नियम 2013 के अनुसार प्रोफेशनल सर्विसेज हेतु राजस्थान सरकार के ऐसे विश्वविद्यालय जो UGC Act, 1956 के तहत् स्थापित किये गये है, से Single Source के रूप में परामर्शी सेवायें प्राप्त की जा सकती है। अतः प्रोफेशनलस सर्विसेज हायर करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव रू. 5.90 लाख (सभी कर सहित) प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार यह राशि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा JAI NARAIN VYAS UNIVERSITY DEVELOPMENT FUND ACCOUNT, JODHPUR' के खाते में जमा करवायी जानी है।

Decision

This matter will be decided after obtaining report of the committee constitutued for ageda item no. 45 (2).

प्रस्ताव संख्या 49 :: विवेक विहार योजना कन्वेंशन सेन्टर निर्माण हेतु कन्सलटेन्सी सेवाए लेने (Hiring of Consultancy Services) की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की एसओपी दिनांक 01.05.2017 के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार **Hiring of Consultancy Services** हेतु 15.00 लाख से अधिक राशि की स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति की अनुमति आवश्यक है। जोन दक्षिण में Appointment of Consultancy Firm for Undertaking Detailed Project Reports and Supervision During Construction for Convention Centre at Vivek Vihar Yojna, Jodhpur Development Authority, Jodhpur हेतु प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रूपये 50.00 लाख की जारी की गई तथा तकनीकी स्वीकृति राशि रूपये 50.00 लाख की जारी की गई है। चूकिं उक्त

24.11.17

कार्य की प्रशासनिक, वितीय एवं तकनीकी स्वीकृति की सक्षमता कार्यकारी समिति में निहित है।

अतः कार्य की जारी की गई प्रशासनिक वितीय एवं तकनीकी स्वीकृति की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श जोन दक्षिण में Appointment of Consultancy Firm for Undertaking Detailed Project Reports and Supervision During Construction for Convention Centre at Vivek Vihar Yojna हेतु जारी की गई प्रशासनिक, वितिय एवं तकनीकी स्वीकृति राशि रूपये 50.00 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन सर्व सम्मति से किया गया।

प्रस्ताव संख्या 50 :: विवेक विहार योजना में कन्वेंशन सेन्टर निर्माण हेतु कन्सलटेन्सी फर्म नियुक्त करने के लिए प्राप्त दरों का अनुमोदन

प्राधिकरण द्वारा विवेक विहार योजना में कन्वेन्शन सेन्टर निर्माण करवाये जाने हेतु कन्सलटेन्सी फर्म की नियुक्ति की जानी है, ताकि कन्वेन्शन सेन्टर के निर्माण हेतु सम्पूर्ण डी. पी.आर. (Detialed Project Report) तैयार की सके तथा कन्वेन्शन सेन्टर के निर्माण के दौरान पर्यवेक्षण कार्य भी किया जा सके।

प्राधिकरण के वितीय वर्ष 2017–18 के वार्षिक बजट में कन्वेंशन सेन्टर हेतु बजट मद 5002–04–0003(06) में राशि रूपये 4100.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। जिसमें से कन्वेन्शन सेंटर की कन्सलटेन्सी हेतु राशि रूपये 50.00 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति आयुक्त महोदय द्वारा मूल पत्रावली के पैरा नं. 39 दिनांक 19.06.2017 के जरिये की चुकी है।

प्राधिकरण में कार्यरत सभी अभियंताओं के पास समूचित कार्य होने एवं प्राधिकरण में सर्वे एवं डीपीआर निर्मित करने संबंधी आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण कन्सलटेन्सी कार्य हेतु आउटसोर्सिंग की आवश्यकता महसूस की गई है।

उपरोक्त तथ्यो के मध्य नजर प्राधिकरण द्वारा निविदा सूचना संख्या 07/2017–18 दिनांक 11.09.2017 के जरिये निविदाये आमंत्रित की गई थी, तथा तकनीकी बिड दिनांक 06.10.2017 को खोली गई जिनमें 5 फर्मो द्वारा प्रस्तुत निविदाओं को खोला जाकर तकनीकी परीक्षण (Technicial Evaluation) किया गया एवं मार्किंग की गई।

जिसके पश्चात् दिनांक 17.10.2017 को वितीय बिड खोली जाकर वितीय परीक्षण (Financial Evaluation) कर अंतिम स्कोर की गणना की गई, जिसमें भावना एन्टरप्राईजेज प्राईवेट लि., आगरा द्वारा उक्त कार्य करने हेतु अपनी दर राशि रूपये **31.00 लाख** प्रस्तुत की गई है, जिसके आधार पर अधिकतम अंक प्राप्त करने पर फर्म को कार्यादेश दिया गया।

Schedule of Powers के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार कन्सलटेन्सी फर्मो की नियुक्ति के संबंध में प्राप्त निविदाओ की स्वीकृति का अधिकार कार्यकारी समिति में निहित है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए जानकारी दी गई कि प्राधिकरण में नियुक्त तकनीकी सलाहकार जो पीपीपी मोड्यूल के तकनीकी विशेषज्ञ है, उनके द्वारा प्राधिकरण की वर्तमान आर्थिक स्थिति के मद्देनजर कन्वेंशन सेन्टर (कम्यूनिटी) कार्य को

24.11.17

पीपीपी मोड्यूल पर क्रियान्वित करवाये जाने को उचित बताया गया है। आयुक्त महोदय द्वारा भी प्राधिकरण के वर्तमान आर्थिक हालात को देखते हुए उक्त राय को उचित बताया गया।

बाद विचार विमर्श प्राधिकरण की वर्तमान आर्थिक स्थिति के अनुकूल नहीं होने व कन्वेंशन सेन्टर निर्माण हेतु आवश्यक धन राशि के अभाव में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण पीपीपी मोड्यूल पर करवाये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया तथा वर्तमान में कन्वेन्शन सेंटर हेतु आमंत्रित निविदाओं को तुरंत प्रभाव से निरस्त करने एवं पीपीपी मोड्यूल पर राजमाता विजयराजे सिन्धिया अन्तर्राष्ट्रीय कनवेन्शन कम्यूनिटी सेन्टर निर्माण हेतु प्रोजेक्ट कन्सल्टेन्ट नियुक्त करने हेतु आवश्यक EOI तुरन्त जारी करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या एफ 46 / आवंटन शाखा / E/C बैठक / 17 कार्यकारी समिति की बैठक पत्रावली) के पैरा संख्या ..80.. / एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है)

24.11.17
(अरूण पुरोहित)
सचिव

कमांक / बैठक / 2017 / 1183-1198 दिनांक :: 24.11.2017

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय / आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
05. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / मुख्यालय / यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर / पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
06. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
09. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड / क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर / बोरानाड़ा
10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर / प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
11. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
12. निदेशक– अभियांत्रिकी / नियोजन / वित्त / विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण / मुख्यालय / उपसचिव / भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अधीक्षण अभियन्ता–I / II / III जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. ....

24.11.17
(अरूण पुरोहित)
सचिव

परिशिष्ट–1

दिनांक 15 नवम्बर, 2017 को सांय 4.00 बजे श्री दुर्गेश कुमार बिस्सा, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1.	श्री जयसिंह चौधरी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
2.	श्री जे.के. सोनी, अधीक्षण अभियन्ता – सिटी, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डिस्कॉम), जोधपुर
3.	श्री नवीन राय, अधिशाषी अभियन्ता (सिटी), सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
4.	श्री लालचन्द चाण्डक मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
5.	श्री डी.के. मीना, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6.	श्री श्री तुलसीदास शर्मा, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7.	श्री पी.आर. बेनीवाल, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8.	श्री विरेन्द्रसिंह चौधरी, उप सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9	श्री नन्दलाल शर्मा, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10.	श्री अरूण पुरोहित, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर – सदस्य सचिव

24.11.17